191
12/9/19

आयुक्तालय कॉलेज शिक्षा, राजस्थान, जयपुर

क्रमांकः–एफ (20)आकाशि/पॉलिसी /निसं/2019/ 192 दिनांकः– 12/9/19

विज्ञप्ति

शैक्षणिक सत्र 2020–21 हेतु नवीन निजी महाविद्यालय प्रारंभ करने/ पूर्व संचालित महाविद्यालयों को **TNOC** में अभिवृद्धि/**PNOC**/ नवीन संकाय/ विषय/स्नातकोत्तर क्रमोन्नयन/ नाम परिवर्तन/ स्थान परिवर्तन/ सहशिक्षा अथवा कन्या महाविद्यालय सम्बन्धी परिवर्तन एवं स्थायी व अस्थाई अनापत्ति प्रमाण पत्र प्राप्त महाविद्यालय द्वारा वार्षिक शुल्क जमा करवाने के लिए ऑन लाइन आवेदन आमंत्रित किये जाते हैं। ऑन लाइन आवेदन पत्र भरने की तिथियां निम्नानुसार होंगीः–

16 सितम्बर 2019 से 31 अक्टूबर 2019 तक – सामान्य आवेदन शुल्क
1 नवम्बर 2019 से 30 नवम्बर 2019 तक – सामान्य आवेदन शुल्क +रूपये 25,000/– विलम्ब शुल्क

नोट

1.ऐसे पूर्व संचालित निजी महाविद्यालय जो **TNOC** अभिवृद्धि /वार्षिक शुल्क/ **PNOC** (पूर्व संचालित संकाय/विषय में) हेतु उपर्युक्त तिथि तक ऑन लाइन आवेदन प्रस्तुत नहीं कर पायेंगे वे महाविद्यालय सामान्य आवेदन शुल्क + रूपये 25000/– विलम्ब शुल्क + रूपये 10000/– अतिरिक्त विलम्ब शुल्क सहित 31 दिसम्बर 2019 तक आवेदन ऑन लाइन प्रस्तुत कर सकेंगे।

2. सभी पूर्व संचालित निजी महाविद्यालय जिन्हें अस्थायी/स्थायी अनापत्ति प्रमाण पत्र की आवश्यकता नहीं है उन्हें भी वार्षिक शुल्क हेतु ऑनलाइन प्रपत्र भरना अनिवार्य होगा।

इस हेतु आवेदक संस्था को उच्च एवं तकनीकी शिक्षा विभाग की वेबसाइट **(hte.rajasthan.gov.in)** के **"NOC"** लिंक पर क्लिक कर **Department of College Education** को**select** कर **NOC Online Portal** पर जाकर ऑन लाइन आवेदन करना होगा।

(प्रदीप कुमार बोरड़, **IAS**)
आयुक्त, कालेज शिक्षा
एवं विशिष्ट शासन सचिव
उच्च शिक्षा, राजस्थान

सत्यमेव जयते

राजस्थान सरकार

निजी महाविद्यालय नीति

सत्र 2020–21 से प्रभावी

कॉलेज शिक्षा विभाग, राजस्थान

ब्लॉक 4, डा0 राधाकृष्णन् शिक्षा संकुल, जवाहरलाल नेहरू मार्ग, जयपुर
दूरभाष : 0141–2706736
वेबसाईट : **www.hte.rajasthan.gov.in**
ई–मेल : **jdpi.cce@gmail.com**

प्रस्तावना

राजस्थान में उच्च शिक्षा हेतु निजी महाविद्यालय प्रारम्भ करने के लिए राजस्थान गैर सरकारी शैक्षिक संस्था अधिनियम 1989 एवं राजस्थान गैर सरकारी शैक्षिक नियम 1993 के अनुसार प्रावधान है कि राज्य सरकार की अनुमति के उपरांत ही निजी महाविद्यालय का संचालन किया जा सकता है। उक्त प्रावधान का उद्देश्य है कि प्रदेश में उच्च शिक्षा की गुणवत्ता सुनिश्चित करते हुए स्तरीय अधोसंरचना, पर्याप्त मात्रा में योग्यताधारी स्टाफ एवं उत्तम शिक्षा से युक्त निजी महाविद्यालय खोले जावें।

सत्र 2020–21 एवं उसके बाद के सत्रों से प्रारम्भ हो रहे नवीन निजी महाविद्यालयों के लिए तथा पूर्व संचालित निजी महाविद्यालयों में नये विषय/संकाय प्रारम्भ करने के लिए दिशा निर्देश आयुक्तालय कालेज शिक्षा की वेबसाइट पर एनओसी ऑनलाईन पोर्टल पर आवश्यक शर्तों के साथ अपलोड किया जाता है।

राज्य सरकार के अनुमोदन उपरान्त लिये गये निर्णय के अनुसरण में आयुक्तालय कालेज शिक्षा द्वारा नवीन निजी महाविद्यालय/ अभिवृद्वि/ नवीन विषय/संकाय स्थायी अनापत्ति हेतु निर्धारित शर्तों की पूर्ति करने पर अनापत्ति प्रमाण पत्र जारी किया जावेगा, जिसके आधार पर संबंधित विश्वविद्यालय द्वारा विस्तृत निरीक्षण उपरांत नियमानुसार सम्बद्धता प्रदान की जावेगी।

राजस्थान गैर सरकारी शैक्षिक संस्था अधिनियम 1989 एवं राजस्थान गैर सरकारी शैक्षिक नियम 1993 की अनुपालना में यथा आवश्यक समय समय पर जारी निर्णयों के अनुरूप उक्त दिशा निर्देशों के संशोधन व परिवर्तन हेतु आयुक्त उच्च शिक्षा को अधिकृत किया जाता है।

अनुक्रमणिका

क्र.सं.	विषय	पृष्ठ संख्या
1	पंजीयन एवं प्रबन्ध समिति	01
2	महाविद्यालय का नामकरण	01
3	नवीन महाविद्यालय हेतु अस्थायी अनापत्ति प्रमाण पत्र	02
4	अस्थायी अनापत्ति प्रमाण पत्र में अभिवृद्वि	03
5	स्थायी अनापत्ति प्रमाण पत्र	04
6	स्नातकोत्तर क्रमोन्नयन	05
7	नवीन विषय/संकाय	05
8	नियमितीकरण	06
9	महिला शिक्षा से सहशिक्षा/सहशिक्षा से महिला शिक्षा में परिवर्तन	06
10	स्थान परिवर्तन	06
11	नाम परिवर्तन	06
12	प्रबन्ध अन्तरण	06
13	आवेदन पत्र निरस्तीकरण	07
14	सम्बद्धता	07
15	पूर्ति करने योग्य दस्तावेज	07
16	प्रत्यायन एवं निरीक्षण	07
17	अनापत्ति प्रमाण पत्र का स्तर	08
18	अनापत्ति प्रमाण पत्र का निरस्तीकरण	08
19	अनापत्ति प्रमाण–पत्र की पुनः बहाली	08
20	दण्डात्मक कार्यवाही	09
21	शुल्क	09
22	स्थायी कायिक निधि	10
23	ऑन लाईन आवेदन पत्र प्रस्तुतीकरण की तिथियां	11
24	भूमि	12
25	भवन	13
26	गुणात्मक सुधार हेतु आवश्यक कार्यक्रम	14
27	कौशल–उन्नयन	15
28	प्रवेश प्रक्रिया	15
29	स्टाफ	15
30	आवेदन पत्र प्रस्तुत करना एवं निरीक्षण प्रक्रिया	16
31	पूर्व संचालित महाविद्यालय को बंद करना	16
32	सांध्य/सायंकालीन महाविद्यालय खोलने संबंधी प्रावधान	16
33	संविलयन	17
34	भवन संबंधी न्यूनतम मापदण्ड (परिशिष्ट–1)	18
35	छात्र छात्राओं हेतु सुविधायें (परिशिष्ट–2)	19
36	महाविद्यालय विहीन उपखण्डों की सूची	20
37	आरक्षित विधानसभा निर्वाचन क्षेत्रों की सूची (परिशिष्ट–4)	21
38	एफडीआर नगदीकरण/महाविद्यालय बंद करने हेतु शपथ पत्र का प्रारूप (परिशिष्ट–5)	23
39	प्रबन्ध कार्यकारिणी की सूची का प्रारूप (परिशिष्ट–6)	24
40	भू–रूपान्तरण दस्तावेज हेतु शपथ पत्र का प्रारूप (परिशिष्ट–7)	25
41	प्रबन्ध अन्तरण हेतु आवेदन का प्रारूप (परिशिष्ट–8)	26
42	स्थायी कायिक निधि का प्रारूप (परिशिष्ट–9)	27
43	ई–ग्रास चालान सम्बन्धी निर्देश एवं प्रारूप (परिशिष्ट–10)	28
44	कौशल–उन्नयन सम्बन्धित पाठ्यक्रम विवरण (परिशिष्ट–11)	30
45	एनओसी जारी करने हेतु कैलेण्डर (परिशिष्ट–12)	31
46	भूमि भवन प्रमाण पत्र प्रारूप (परिशिष्ट–13)	32

ये दिशा–निर्देश निजी महाविद्यालयों हेतु पूर्व में प्रसारित सभी दिशा–निर्देशों के अतिक्रमण में प्रसारित किये जा रहे हैं तथा सत्र 2020–21 से प्रभावी होंगे। नवीन, पूर्व संचालित एवं स्थायी अनापत्ति प्रमाण–पत्र प्राप्त सभी महाविद्यालय इन दिशा–निर्देशों का पालन करने हेतु बाध्य होंगे। राजस्थान गैर सरकारी शैक्षिक संस्था अधिनियम 1989 एवं राजस्थान गैर सरकारी शैक्षिक संस्था नियम 1993 का पालन इस विभाग से अनापत्ति प्रमाण–पत्र प्राप्त सभी महाविद्यालयों को करना होगा । विश्वविद्यालय अनुदान आयोग (विश्वविद्यालय द्वारा कॉलेजों को सम्बद्धता) विनियम, 2009 एवं समय–समय पर यू.जी. सी. द्वारा प्रसारित तत्सम्बन्धी समस्त विनियम इन दिशा–निर्देशों का भाग होंगे – केवल भूमि एवं स्थायी कायिक निधि (सावधि जमा) के मापदण्ड को छोडकर ।

1. पंजीयन एवं प्रबन्ध समिति

1.1 निजी महाविद्यालय के संचालन हेतु आवेदक एक समिति/संस्था/ट्रस्ट/कम्पनी का गठन करेगा, जिसका पंजीयन "राजस्थान सोसाइटी रजिस्ट्रीकरण अधिनियम 1958" अथवा "राजस्थान पब्लिक ट्रस्ट एक्ट 1959" अथवा "भारतीय ट्रस्ट एक्ट 1882" अथवा "दी कम्पनीज एक्ट 2013 की धारा 8 के अन्तर्गत पंजीकृत कम्पनी" के अन्तर्गत होना अनिवार्य है।

1.2 समिति/संस्था/ट्रस्ट/कम्पनी के पंजीकृत विधान के उद्देश्यों में उच्च शिक्षा के प्रचार प्रसार एवं व्यवस्था का उल्लेख होना अनिवार्य है।

1.3 प्रत्येक मान्यता प्राप्त महाविद्यालय के लिए निम्नांकित विहित रीति से एक प्रबंध समिति गठित की जायेगी–

1.3.1 प्रबन्ध समिति संस्था या संस्थाओं के प्रधान या प्रधानों सहित 15 से 21 सदस्यीय होनी चाहिए जिसमें 30 प्रतिशत महिला प्रतिनिधित्व होना अनिवार्य है।

1.3.2 प्रबंध समिति में किसी भी एक समुदाय, जाति या पंथ के दो–तिहाई से अधिक सदस्य नहीं होंगे। प्रत्येक सदस्य के नाम के साथ उसके पेशे का उल्लेख होना चाहिए। (परिशिष्ट –6)

1.3.3 प्रबन्ध समिति में न्यूनतम दो शिक्षाविज्ञ सदस्य होंगे जिनके सहमति पत्र एवं शैक्षणिक योग्यता का प्रमाण–पत्र संस्था को प्रस्तुत करना होगा।

1.3.4 प्रबंधन प्रत्येक तीन वर्ष के पश्चात् निर्वाचन कर नयी प्रबंध समिति का गठन करेगा। जिसकी प्रति पंजीयक से प्रमाणित होनी चाहिए।

1.3.5 प्रबन्ध समिति के किसी भी सदस्य का पूर्व में कोई आपराधिक रिकार्ड नही होना चाहिये, अर्थात् वह कभी भी किसी आपराधिक कृत्य या दुराचरण के लिये विचारित या दोष सिद्ध नही किया गया हो।

2 महाविद्यालय का नामकरण

2.1 निम्नलिखित तथ्यों को ध्यान में रखकर ही नवीन महाविद्यालय का नामकरण किया जावे–

2.1.1 उस क्षेत्र में पूर्व स्थापित महाविद्यालय से मिलता–जुलता नाम न रखा जावे।

2.1.2 महाविद्यालय के नाम में आपत्तिजनक/The Emblems and Names (Prevention of Improper Use) Act 1950 के तहत प्रतिबन्धित शब्द न हो अर्थात India, National, International, Rajasthan इत्यादि शब्दों का प्रयोग नहीं किया जावे।

2.1.3 केवल 'कन्या महाविद्यालय' 'सहशिक्षा महाविद्यालय,' 'वाणिज्य महाविद्यालय' जैसे नाम भी न रखे जावे । ये केवल महाविद्यालय की श्रेणी हैं ।

2.1.4 'कन्या महाविद्यालय' खोलने की स्थिति में महाविद्यालय के नाम में कन्या अथवा महिला शब्द आवश्यक रूप से जोडें ।

3. नवीन महाविद्यालय हेतु अस्थायी अनापत्ति प्रमाण–पत्र

3.1 राजस्थान राज्य में कहीं भी नवीन महाविद्यालय की स्थापना के लिये समिति/ ट्रस्ट/कम्पनी द्वारा आवेदन करने पर कॉलेज शिक्षा विभाग द्वारा गठित त्रिसदस्यीय समिति द्वारा निरीक्षण किया जायेगा । निरीक्षण में मापदण्ड पूर्ण पाये जाने पर आवेदित सत्र से समिति/ट्रस्ट/कम्पनी को महाविद्यालय संचालन हेतु तीन सत्र का अस्थायी अनापति प्रमाण–पत्र जारी किया जायेगा ।

3.2 अस्थायी अनापत्ति प्रमाण–पत्र हेतु मापदण्ड

3.2.1 मापदण्डानुसार स्वयं की भूमि ।

3.2.2 मापदण्डानुसार स्वयं का भवन/प्रारम्भ में तीन वर्ष के लिए किराये का भवन भी मान्य होगा।

3.2.3 निर्धारित राशि की सावधि जमा (एफ.डी.आर.) ।

3.2.4 छात्र–छात्राओं हेतु निर्धारित सुविधायें (परिशिष्ट–2)।

3.2.5 सुदृढ वित्तीय स्थिति के साक्ष्य यथा – बैंक पासबुक की छाया प्रति (न्यूनतम पांच लाख रूपये) ।

3.2.6 आवेदित प्रत्येक विषय हेतु न्यूनतम 50 पाठ्यपुस्तकें/ सन्दर्भ पुस्तकें तथा शब्दकोश व सामान्य ज्ञान पुस्तकें।

3.2.7 आवेदित प्रत्येक विषय /संकाय हेतु यू.जी.सी. योग्यताधारी शैक्षणिक स्टाफ की उपलब्धता सुनिश्चित करने हेतु सहमति पत्र निरीक्षण के समय प्रस्तुत करना होगा। अनापत्ति प्रमाण पत्र प्राप्त करने के पश्चात यू.जी.सी. योग्यताधारी शैक्षणिक स्टाफ की नियुक्ति कर उसकी सूची एवं सभी आवश्यक दस्तावेज आनलाईन पोर्टल पर अपलोड करने होगें। उक्त दस्तावेजो की आयुक्तालय स्तर पर जांच करने के पश्चात स्वीकृति पत्र जारी किया जावेगा। अनापत्ति प्रमाण पत्र की प्रति व स्वीकृति पत्र की प्रति के आधार पर ही सम्बन्धित विश्वविद्यालय द्वारा सम्बद्धता प्रमाण पत्र जारी किया जावेगा।

3.2.8 प्रत्येक आवेदित निजी महाविद्यालय स्वयं की वेबसाइट निर्मित करेंगे एवं उसके URL name को आवेदन में अंकित करना होगा। इस वेबसाइट में प्रत्येक निजी महाविद्यालय को निम्नलिखित बिन्दु आवश्यक रूप से उल्लेख करने होंगे–

(i) महाविद्यालय की आधारभूत संरचना से सम्बन्धित दस्तावेज

(ii) महाविद्यालय भवन में उपलब्ध कक्षों की संख्या, माप एवं चित्र

(iii) महाविद्यालय में आवेदित/संचालित संकाय/विषय

(iv) महाविद्यालय के प्रत्येक संकाय में कक्षावार व वर्गवार नामांकित विद्यार्थियों की संख्या (प्रवेश पश्चात्)

(v) संकायवार/कक्षावार विद्यार्थी फीस चार्ट (सूचना पटट् पर भी प्रदर्शित करें)

(vi) राज्य सरकार द्वारा जारी प्रथम एनओसी

(vii) निजी महाविद्यालय के शैक्षणिक व अशैक्षणिक स्टाफ की सूची (नाम, फोटो, योग्यता, विषय, आधार नम्बर सहित)

(viii) प्रत्येक निजी महाविद्यालय द्वारा महाविद्यालय की वेबसाइट को प्रत्येक 15 दिन में अद्यतन करना अनिवार्य होगा।

(ix) विश्वविद्यालय से प्राप्त सम्बद्धता प्रमाण–पत्र (प्राप्त होने के पश्चात्)।

3.3 नवीन महाविद्यालयों को अनापत्ति प्रमाण–पत्र जारी करने हेतु कमीपूर्ति पूर्ण करने की अन्तिम तिथि एनओसी जारी करने की अन्तिम तिथि से पांच दिवस पूर्व होगी। नवीन महाविद्यालय के लिए आवेदन पत्र अनापत्ति प्रमाण पत्र जारी करने की अन्तिम तिथि तक कमी पूर्ति न करने अथवा अपर्याप्त दस्तावेज प्रस्तुत करने पर स्वतः ही निरस्त हो जायेगा। इस आवेदन पत्र पर किसी भी परिस्थिति में आगामी सत्रों हेतु विचार नहीं किया जायेगा

3.4 विधि महाविद्यालय

विधि महाविद्यालय उन्हीं स्थानों पर खोले जा सकेंगे जहां जिला/एडीजे न्यायालय/सी.जे.एम कोर्ट उपलब्ध होंगे। अतः उन्हीं स्थानों के लिए आवेदन स्वीकार किये जावेंगे । संस्था को कोर्ट की उपलब्धता का प्रमाण पत्र संलग्न करना होगा। संस्था बी.सी.आई. से मान्यता एवं सम्बद्धक विश्वविद्यालय से सम्बद्धता अपने स्तर पर प्राप्त करेगी।

3.4.1 निजी विधि महाविद्यालय में बीसीआइ एवं यूजीसी के नियमानुसार योग्यताधारी प्राध्यापकों की पर्याप्त संख्या में नियुक्ति करनी होगी।

3.4.2 विधि महाविद्यालय हेतु बीसीआइ द्वारा निर्धारित सभी मापदण्ड लागू होंगे।

3.4.3 विधि संकाय पांच वर्षीय कोर्स में बी.ए. एलएलबी एवं बी.एस.सी. एलएलबी हेतु अलग अलग कक्षा कक्ष की गणना की जायेगी।

नोटः– बार काउन्सिल ऑफ ईडिया द्वारा दिनांक 12.08.2019 को जारी प्रेस विज्ञप्ति में आगामी तीन वर्षो के लिए नवीन विधि महाविद्यालयों के खोलने पर रोक लगा दी गयी है। अतः बार काउन्सिल ऑफ ईडिया के अग्रिम आदेशों तक नवीन विधि महाविद्यालय खोलने पर प्रतिबंध रहेगा।

4. अस्थायी अनापत्ति प्रमाण–पत्र में अभिवृद्धि

4.1 अस्थायी अनापत्ति प्रमाण पत्र प्राप्त महाविद्यालय को प्रत्येक सत्र में वार्षिक शुल्क जमा करवाकर ऑन लाइन प्रपत्र भरना अनिवार्य होगा।

4.2 प्रथम अस्थायी अनापत्ति प्रमाण–पत्र प्राप्त करने के तीन सत्र पश्चात् संस्था को अनापत्ति प्रमाण–पत्र में अभिवृद्धि हेतु आवेदन करना होगा।

4.2.1 प्रथम तीन सत्र पश्चात अस्थायी प्रमाण पत्र अभिवृद्धि हेतु निर्धारित मापदण्ड

i मापदण्डानुसार स्वयं की भूमि

ii मापदण्डानुसार स्वयं का भवन

iii निर्धारित राशि की सावधि जमा

iv छात्र/छात्राओं हेतु निर्धारित सुविधाएं

v यूजीसी द्वारा निर्धारित योग्यताधारी प्राचार्य एवं स्टाफ की नियुक्ति

vi समस्त स्टाफ को वेतन भुगतान बैंक के माध्यम से करना अनिवार्य

vii पुस्तकालय में प्रत्येक संचालित विषय हेतु न्यूनतम पुस्तकें आवेदित प्रत्येक विषय हेतु न्यूनतम 50पाठ्यपुस्तकें/सन्दर्भ पुस्तकें तथा शब्दकोश व सामान्य ज्ञान पुस्तकें।

viii निजी महाविद्यालय की स्वयं की वेबसाईट

ix विश्वविद्यालय सम्बद्वता का अद्यतन प्रमाण पत्र

उपर्युक्त समस्त मापदण्डों की पूर्ति करने पर ही अस्थायी अनापत्ति प्रमाण पत्र में दो सत्र की अभिवृद्धि की जायेगी।

4.2.2 सत्र 2019–20 व आगामी सत्रों में स्थापित महाविद्यालयों में मापदण्डानुसार चतुर्थ वर्ष में संस्था का स्वयं का भवन न होने पर महाविद्यालय में छात्रों का प्रथम वर्ष में नवीन प्रवेश स्वतः प्रतिबन्धित हो जायेगा। संस्था यदि प्रभावी सत्र में नियमानुसार मापदण्ड पूर्ण कर देती है तो आगामी सत्र में अनापत्ति प्रमाण–पत्र को पुनः बहाल करते हुए अस्थायी अनापत्ति प्रमाण–पत्र जारी किया जायेगा अन्यथा संस्था का अनापत्ति प्रमाण–पत्र निरस्त कर दिया जावेगा।

4.2.3 सत्र 2019–20 से पूर्व स्थापित निजी महाविद्यालय जो संचालन के चतुर्थ वर्ष में स्वयं के भवन का निर्माण नहीं कर पाये हैं वे महाविद्यालय संचालन के चतुर्थ वर्ष में एक लाख रूपये एवं संचालन के पंचम वर्ष में दो लाख की शास्ति राशि जमा करवाकर सम्बन्धित सत्र की अस्थायी एनओसी प्राप्त कर सकेंगे। TSP क्षेत्र हेतु उक्त शास्ति राशि में 50 प्रतिशत की छूट प्रदान की जावेगी। अस्थायी अनापत्ति प्रमाण पत्र के निर्धारित अन्य सभी मापदण्ड पूर्ण करना आवश्यक होगा अन्यथा संस्था की अस्थायी एनओसी क्रमिक रूप से निरस्त कर दी जायेगी।

4.2.4 निजी महाविद्यालय द्वारा टीएनओसी अभिवृद्वि की शर्तों की पूर्ति न करने पर प्रभावी सत्र से टीएनओसी क्रमिक रूप से निरस्त कर दी जावेगी।

5. स्थायी अनापत्ति प्रमाण–पत्र

5.1 संस्था द्वारा पांच अकादमिक सत्र संतोषप्रद ढंग से पूर्ण करने पर ही महाविद्यालय स्थायी अनापत्ति प्रमाण–पत्र के लिये पात्र होंगे। संस्था के द्वारा आवेदन किये जाने पर निरीक्षणोपरान्त मापदण्ड पूर्ण पाये जाने पर स्थायी अनापत्ति प्रमाणपत्र जारी किया जायेगा ।

5.2 स्थायी अनापत्ति प्रमाण–पत्र हेतु मापदण्ड

5.2.1 मापदण्डानुसार स्वयं की भूमि।

5.2.2 मापदण्डानुसार स्वयं का भवन।

5.2.3 यूजीसी द्वारा निर्धारित योग्यताधारी प्राचार्य एवं स्टाफ की नियुक्ति

5.2.4 महाविद्यालय के सम्पूर्ण स्टाफ का वेतन भुगतान बैंक के माध्यम से किया जा रहा हो (कम से कम छः माह का बैंक के वेतन भुगतान का प्रमाण प्रस्तुत करना होगा)।

5.2.5 महाविद्यालय के समस्त स्टाफ की पी.एफ. कटौती नियमानुसार की जा रही हो ।

5.2.6 छात्र–छात्राओं की समुचित सुविधाओं का विकास कर लिया हो (परिशिष्ट–2)।

5.2.7 गत तीन वर्षों का छात्रों का औसत परीक्षा परिणाम

5.2.8 महाविद्यालय में प्रति विषय 100 पुस्तकें एवं न्यूनतम 2000 पुस्तकें पुस्तकालय में होना अनिवार्य है। इस हेतु स्टॉक रजिस्टर का संधारण अनिवार्य है।

5.2.9 निर्धारित राशि की सावधि जमा (FDR)।

5.2.10 प्रत्येक निजी महाविद्यालय स्वयं की वेबसाइट निर्मित करेगा एवं उसके URL name को आवेदन में अंकित करना होगा। इस वेबसाइट में प्रत्येक निजी महाविद्यालय को निम्नलिखित बिन्दु आवश्यक रूप से उल्लेख करने होंगे–

(i) महाविद्यालय की आधारभूत संरचना से सम्बन्धित दस्तावेज

(ii) महाविद्यालय भवन में उपलब्ध कक्षों की संख्या, माप एवं चित्र

(iii) महाविद्यालय में संचालित संकाय/विषय

(iv) महाविद्यालय के प्रत्येक संकाय में कक्षावार नामांकित विद्यार्थियों की संख्या

(v) संकाय वार/कक्षावार विद्यार्थियों का फीस चार्ट

(vi) राज्य सरकार द्वारा जारी प्रथम एनओसी एवं प्रत्येक संकाय/विषय की नवीनतम एनओसी एवं विश्वविद्यालय सम्बद्धता की नवीनतम सत्र की प्रमाणित प्रति।

(vii) निजी महाविद्यालय के शैक्षणिक व अशैक्षणिक स्टाफ की सूची (नाम,फोटो, योग्यता, विषय, आधार नम्बर सहित)

(viii) गत तीन सत्रों का विश्वविद्यालय का संकायवार/कक्षावार परीक्षा परिणाम

(ix) प्रत्येक निजी महाविद्यालय द्वारा महाविद्यालय के वेबसाईट को प्रत्येक 15 दिन में अद्यतन करना अनिवार्य होगा।

5.3 प्रायोगिक विषय (स्नातक/स्नातकोत्तर) के लिए स्थायी अनापत्ति प्रमाण–पत्र हेतु आवेदन करते समय संस्था को सम्बन्धित विश्वविद्यालय के पाठ्यक्रमानुसार उपकरणों को क्रय कर उसके फोटोग्राफ्स मय बिल आवेदन के साथ प्रस्तुत करने होंगे। साथ ही निरीक्षण के समय प्रयोगशालाओं के फोटाग्राफ्स आवश्यक रूप से प्रस्तुत करने होंगे। इस हेतु स्टॉक रजिस्टर का संधारण अनिवार्य है।

5.4 संस्था को सम्बद्धक विश्वविद्यालय से प्राप्त नवीनतम सम्बद्धता प्रमाण–पत्र की प्रति प्रस्तुत करनी होगी।

5.5 संस्था को विद्यार्थियों से लिये जाने वाले कक्षावार शुल्क का विवरण प्रस्तुत करना होगा।

6 स्नातकोत्तर क्रमोन्नयन

6.1 स्थायी अनापत्ति प्रमाण–पत्र प्राप्त करने के पश्चात्वर्ती वर्षों में ही संस्था स्नातकोत्तर क्रमोन्नयन हेतु आवेदन कर सकेगी तथा मापदण्ड पूर्ण पाये जाने पर स्नातकोत्तर क्रमोन्नयन हेतु स्थायी अनापत्ति प्रमाण–पत्र जारी किया जायेगा।

6.2 स्नातकोत्तर क्रमोन्नयन हेतु स्थायी अनापत्ति प्रमाण–पत्र के मापदण्डों के साथ साथ स्नातकोत्तर विषयों के लिये आवश्यक भवन सम्बन्धी मापदण्डों की पूर्ति भी आवश्यक है।

6.3 महाविद्यालय में स्नातक स्तर पर संचालित विषयों में स्थायी अनापत्ति प्रमाण–पत्र धारक संस्था को ही स्नातकोत्तर पाठ्यक्रम की अनुमति दी जायेगी।

6.4 स्नातकोत्तर विषय हेतु न्युनतम दो योग्यताधारी व्याख्याता होने आवश्यक हैं।

6.5 स्नातकोत्तर विज्ञान के लिए स्थायी अनापत्ति प्रमाण–पत्र प्राप्त करने वाले महाविद्यालयों को प्रति विषय दो प्रयोगशाला (स्नातक व स्नातकोत्तर सहित) आवश्यक है।

7 नवीन विषय / संकाय

7.1 अस्थायी अनापत्ति प्रमाण–पत्र प्राप्त पूर्व संचालित महाविद्यालयों द्वारा आवेदन करने पर स्वयं का भवन व अनापत्ति प्रमाण पत्र हेतु निर्धारित सम्पूर्ण मापदण्ड पूर्ण करने पर ही अस्थायी अनापत्ति प्रमाण–पत्र की शेष अवधि के लिये नवीन विषय / संकाय के संचालन हेतु भी अनुमति दी जा सकेगी। यह अनापत्ति प्रमाण पत्र अस्थायी प्रकृति का होगा।

7.2 स्थायी अनापत्ति प्रमाण–पत्र धारक संस्था को निर्धारित मापदण्ड पूर्ण करने पर नवीन विषय/संकाय के संचालन हेतु स्थाई अनापत्ति प्रमाण–पत्र जारी किया जायेगा।

7.3 नवीन विषय/संकाय/स्नात्तकोतर क्रमोन्नयन प्रमाण–पत्र हेतु कमीपूर्ति करने की अंतिम तिथि एनओसी जारी करने की अन्तिम तिथि के पांच दिवस पूर्व होगी। अन्तिम तिथि तक कमी पूर्ति न करने अथवा अपर्याप्त दस्तावेज प्रस्तुत करने पर आवेदन पत्र स्वतः ही निरस्त हो जायेगा। इस आवेदन पत्र पर किसी भी परिस्थिति में आगामी सत्रों हेतु विचार नहीं किया जायेगा

7.4 आवेदित प्रत्येक विषय /संकाय हेतु यू.जी.सी. योग्यताधारी शैक्षणिक स्टाफ की उपलब्धता सुनिश्चित करने हेतु सहमति पत्र निरीक्षण के समय प्रस्तुत करना होगा। अनापत्ति प्रमाण पत्र

प्राप्त करने के पश्चात यू.जी.सी. योग्यताधारी शैक्षणिक स्टाफ की नियुक्ति कर उसकी सूची एवं सभी आवश्यक दस्तावेज आनलाईन पोर्टल पर अपलोड करने होगें। उक्त दस्तावेजो की आयुक्तालय स्तर पर जांच करने के पश्चात स्वीकृति पत्र जारी किया जावेगा। अनापत्ति प्रमाण पत्र की प्रति व स्वीकृति पत्र की प्रति के आधार पर ही सम्बन्धित विश्वविद्यालय द्वारा सम्बद्धता प्रमाण पत्र जारी किया जावेगा।

8. नियमितीकरण

आदेश क्रमांक/ दिनांक–प. 7(4)उच्च शिक्षा/2004/ 28.12.2004, 599/20.6.2006 तथा 7/4.1.2010 के अन्तर्गत जिन महाविद्यालयों में सत्र 2014 से पूर्व विभाग की एनओसी के बिना विश्वविद्यालय से जो नवीन विषय/संकाय प्राप्त किये हैं, संस्था नियमानुसार आवेदन कर व पीएनओसी की शर्तों को पूर्ण करते हुए उनका नियमितिकरण करावें।

9 महिला शिक्षा से सहशिक्षा/सह शिक्षा से महिला शिक्षा में परिवर्तन

9.1 महिला शिक्षा से सह शिक्षा में/सह शिक्षा से महिला शिक्षा में परिवर्तन हेतु आवेदन तभी स्वीकार किया जायेगा जब महाविद्यालय भूमि, भवन एवं एफडीआर आदि के सभी मापदण्ड पूर्ण करता हो।

9.2 प्रबन्ध समिति के दो तिहाई सदस्यों द्वारा इस आशय हेतु पारित प्रस्ताव की प्रति देनी होगी।

9.3 महिला शिक्षा से सह शिक्षा में परिवर्तन हेतु महाविद्यालय में अध्ययनरत 100 अथवा कुल विद्यार्थियों के 25% (जो भी अधिक हो) के अभिभावकों से परिवर्तन की सहमति प्राप्त कर इस आशय का शपथ पत्र देना होगा।

10. स्थान परिवर्तन

10.1 सह शिक्षा महाविद्यालय का स्थान परिवर्तन सम्बन्धित तहसील की सीमा तक हो सकेगा। महिला महाविद्यालय का स्थान परिवर्तन अधिकतम 5 कि.मी. की परिधि में तहसील की सीमा तक हो सकेगा।

10.2 प्रबन्ध समिति के दो तिहाई सदस्यों द्वारा इस आशय हेतु पारित प्रस्ताव की प्रति देनी होगी।

10.3 नवीन स्थान पर समिति / ट्रस्ट/ कम्पनी के स्वामित्व में मापदण्डानुसार स्वयं की भूमि भू–रूपान्तरण व स्वयं का भवन आदि सभी मापदण्ड पूर्ण होना आवश्यक है।

11. नाम परिवर्तन

11.1 समिति के दो तिहाई सदस्यों द्वारा इस आशय हेतु पारित प्रस्ताव की प्रति प्रस्तुत करनी होगी।

11.2 महाविद्यालय के परिवर्तित नाम में नीति के बिन्दू संख्या 2 की पालना सुनिश्चित की जाये।

12 प्रबन्ध–अन्तरण

12.1 समिति के दो तिहाई सदस्यों द्वारा इस आशय हेतु पारित प्रस्ताव की प्रति देनी होगी।

12.2 प्रबन्ध–अन्तरण हेतु राजस्थान–गैर–सरकारी शैक्षिक संस्था अधिनियम 1989 की धारा 13 के अनुरूप तथा नियम 1993 के नियम 10 (VI) के निर्देशानुसार परिशिष्ट–8 में दिये गये प्रारूप में आवेदन करना होगा।

12.3 जिस समिति/ ट्रस्ट को प्रबन्ध–अन्तरण किया जाना है उसके द्वारा महाविद्यालय संचालन हेतु निर्धारित सभी वर्तमान मापदण्ड पूर्ण किये जाने पर ही उसके पक्ष में प्रबन्ध–अन्तरण की अनुमति दी जावेगी ।

13. आवेदन–पत्र निरस्तीकरण

13.1 निरीक्षण रिपोर्ट के साथ संस्था द्वारा प्रस्तुत दस्तावेजों का आयुक्तालय स्तर पर परीक्षण करने के पश्चात् कमीपूर्ति करने हेतु संस्था को केवल तीन अवसर दिये जायेंगे।

13.2 महाविद्यालय का आवेदन–पत्र अपूर्ण होने पर, मापदण्डानुसार दस्तावेजों की प्रतियाँ संलग्न नही होने पर अथवा निरीक्षणोपरान्त निर्धारित तिथि तक कमियों की पूर्ति नही किये जाने पर आवेदन पत्र स्वतः ही निरस्त हो जायेगा तथा जमा करवाया गया आवेदन–शुल्क किसी भी परिस्थिति में नहीं लौटाया जायेगा ।

14. सम्बद्धता

संस्थाओ को राज्य सरकार से अनापत्ति प्रमाण–पत्र प्राप्त करने के पश्चात् राज्य सरकार द्वारा क्षेत्रानुसार निर्धारित सम्बन्धित राजकीय विश्वविद्यालयों से सम्बद्धता प्राप्त करने हेतु सम्बद्धक विश्वविद्यालय द्वारा निर्धारित मापदण्डों की पूर्ति कर निर्धारित अवधि में आवेदन करना होगा। सम्बन्धित विश्वविद्यालयों से तथा अन्य नियामक संस्थाओं से सम्बद्धता एवं अनुमोदन लेने के उपरान्त ही महाविद्यालयों में विद्यार्थियों को विश्वविद्यालय से स्वीकृत सीटों की संख्या तक प्रवेश दिया जा सकेगा, जिसका दायित्व संस्था का होगा ।

15. पूर्ति करने योग्य अनिवार्य सुविधाएं एवं दस्तावेज

अस्थायी/स्थायी/ नवीन अनापत्ति प्रमाण–पत्र प्राप्त करने के पश्चात् संस्था को प्रत्येक सत्र में प्रवेश प्रक्रिया पूर्ण होने पर निम्नानुसार कार्यवाही आवश्यक रूप से करनी होगी–

15.1 मानव संसाधन विकास मंत्रालय, भारत सरकार के वेबपोर्टल www.aishe.nic.in पर महाविद्यालय को रजिस्टर करवाकर DCF-II (Data Capture Format-II) भरकर अपलोड करना अनिवार्य होगा । इस डाटा के आधार पर मानव संसाधन विकास मंत्रालय द्वारा विकसित वेबपोर्टल Know Your College पर महाविद्यालय की जानकारी सामान्य जन एवं छात्रों को उपलब्ध हो सकेगी । गत सत्र की DCF - II की Hard Copy आवेदन पत्र के साथ अवश्य प्रस्तुत करनी होगी।

15.2 विभागीय पत्रों का उत्तर डाक से भेजने के साथ–साथ e-mail से भी भेजना अनिवार्य होगा।

15.3. प्रत्येक महाविद्यालय द्वारा नियमित रूप से विभागीय वेबसाइट www.hte.rajasthan.gov.in का अवलोकन किया जावे, जिससे विभाग द्वारा निजी महाविद्यालयों हेतु जारी किये गये दिशा–निर्देशों की जानकारी हो सके तथा उनकी समय पर अनुपालना की जा सके ।

15.4 महाविद्यालय परिसर में यथा सम्भव वाई–फाई की सुविधा उपलब्ध करवायी जाये ।

15.5 महाविद्यालय में यथा सम्भव स्मार्ट क्लास रूम्स की स्थापना की जाये ।

16. प्रत्यायन एवं निरीक्षण

16.1 स्थायी अनापत्ति प्रमाण–पत्र प्राप्त करने के पश्चात समय–समय पर महाविद्यालयों को NAAC अथवा केन्द्र/राज्य सरकार द्वारा स्थापित अन्य किसी सांविधिक प्रत्यायन अभिकरण से प्रत्यायन हेतु आवेदन करना आवश्यक होगा ।

16.2 सभी निजी महाविद्यालयों का समय–समय पर विभाग के निरीक्षण दल द्वारा निरीक्षण भी किया जायेगा ।

17 अनापत्ति प्रमाण–पत्र का स्तर

17.1 नवीन महाविद्यालय हेतु प्रथम अस्थायी अनापत्ति प्रमाण–पत्र, नवीन विषय/नवीन संकाय संचालित करने, स्नातकोत्तर क्रमोन्नयन, नियमितिकरण, संविलयन एवं प्रथम स्थायी अनापत्ति प्रमाण–पत्र की अनुमति राज्य सरकार के अनुमोदन से जारी की जायेगी ।

17.2 अस्थायी अनापत्ति प्रमाण में अभिवृद्धि, प्रबन्ध अन्तरण, महिला शिक्षा महाविद्यालयों को सह–शिक्षा में परिवर्तन, सह शिक्षा से महिला शिक्षा में परिवर्तन, नाम परिवर्तन तथा स्थान परिवर्तन की अनुमति आयुक्तालय स्तर पर अनुमोदन से जारी की जायेगी ।

17.3 यदि संस्था ने ऑन लाइन आवेदन करते समय भूलवश आवेदित विषय/विषयों को गलत संकाय में दर्शाया है या आवेदित स्नातकोत्तर पाठ्यक्रम में त्रुटि की है तो इन प्रकरणों में संशोधन की अनुमति आयुक्त महोदय के अनुमोदन से की जा सकेगी।

18. अनापत्ति प्रमाण–पत्र निरस्तीकरण

अनापत्ति प्रमाण–पत्र देने वाले सक्षम प्राधिकारी द्वारा प्रबन्ध–मण्डल को अनापत्ति प्रमाण–पत्र वापस लेने के लिये प्रस्तावित कार्यवाही के विरूद्ध कारण बताने का समुचित अवसर देने के पश्चात् निम्नलिखित परिस्थितियों में उसका अस्थायी अनापत्ति प्रमाण–पत्र या स्थायी अनापत्ति प्रमाण–पत्र वापस लिया जा सकेगा –

18.1 यदि किसी संस्था का प्रबन्धन कपट/दुर्व्यपदेशन से या तात्त्विक विशिष्टियों को छिपाकर अनापत्ति प्रमाण–पत्र प्राप्त करता है या अनापत्ति प्रमाण–पत्र प्राप्त करने के पश्चात् कोई संस्था इन नियमों के परिशिष्ट– 1 में विहित भवन सम्बन्धी किन्हीं भी निबन्धों और शर्तों का पालन करने में विफल रहती है।

18.2 यदि प्रबन्ध–मण्डल ने सक्षम प्राधिकारी का पूर्व अनुमोदन प्राप्त किये बिना, किसी शैक्षिक संस्था या उसके किसी भाग को बन्द कर दिया है।

18.3 यदि प्रबन्धन ने सक्षम प्राधिकारी का पूर्व अनुमोदन प्राप्त किये बिना, शैक्षिक संस्था को किसी अन्य भवन या स्थान में स्थानान्तरित कर दिया है।

18.4 यदि संस्था का प्रबन्धन सक्षम प्राधिकारी का पूर्व अनुमोदन प्राप्त किये बिना किसी अन्य प्रबन्ध समिति/ संस्था को अंतरित कर दिया गया है।

18.5 यदि अस्थायी अनापत्ति प्रमाण–पत्र की कालावधि की समाप्ति पर प्रबन्ध–समिति/मण्डल अस्थायी अनापत्ति प्रमाण–पत्र की अवधि को बढाने या स्थायी अनापत्ति प्रमाण–पत्र प्राप्ति के लिए सक्षम प्राधिकारी को विहित प्रारूप में आवेदन प्रस्तुत करने मे विफल रहता है।

18.6 यदि महाविद्यालय प्रबन्धन/महाविद्यालय प्रशासन कपट, दुर्व्यपदेशन, दुराचरण आदि का दोषी पाया जाता है ।

18.7 यदि संस्था, राज्य सरकार द्वारा समय–समय पर जारी दिशा–निर्देशों का पालन करने में विफल रहती है।

18.8 यदि महाविद्यालय में राष्ट्र विरोधी गतिविधियां संचालित होना सिद्ध हो जाता है।

18.9 यदि किसी संस्था को विश्वविद्यालय परीक्षा में अनियमितता/नकल या अन्य कपटपूर्ण कार्य किये जाने पर दोषी पाया गया है।

19 अनापत्ति प्रमाण–पत्र की पुनः बहाली

19.1 अनापत्ति प्रमाण–पत्र निरस्तीकरण के विरूद्ध सम्बन्धित संस्था चाहे तो आदेश जारी होने की तिथि से दो माह की अवधि में उच्चाधिकारियों को अपील कर सकती है।

19.2 राज्य सरकार द्वारा समाधान हो जाने पर अनापत्ति प्रमाण–पत्र को पुनः बहाल किया जा सकेगा।

20 दण्डात्मक कार्यवाही

20.1 स्थायी/ अस्थायी अनापत्ति प्रमाण–पत्र प्राप्त संस्था द्वारा विभागीय दिशा–निर्देशों की पालना नहीं करने पर या उसके द्वारा प्रस्तुत तथ्य–दस्तावेज, निरीक्षण तथा परीक्षण के दौरान असत्य पाये जाने पर निम्नानुसार कार्यवाही की जायेगी –

(i) सर्व प्रथम 10000 रूपये की शास्ति अधिरोपित की जायेगी।

(ii) शास्ति अधिरोपण के पश्चात भी संस्था द्वारा आदेश की पालना नहीं करने पर स्थायी अनापत्ति प्रमाण पत्र को अस्थायी अनापत्ति प्रमाण पत्र में परिवतर्तित कर दिया जायेगा। यदि महाविद्यालय अस्थायी प्रमाण पत्र प्राप्त है तो क्रमिक रूप से टीएनओसी निरस्त कर दी जावेगी।

20.2 सत्र 2019–20 से स्थापित निजी महाविद्यालय चतुर्थ वर्ष में स्वयं का भवन व अन्य निर्धारित मापदण्डों की पूर्ति न करने पर चतुर्थ वर्ष में प्रथम वर्ष प्रवेश निषेध, पंचम वर्ष में प्रथम व द्वितीय वर्ष प्रवेश निषेध करते हुए क्रमिक रूप से निरस्त कर दिये जायेंगे। संस्था यदि प्रभावी सत्र में नियमानुसार मापदण्ड पूर्ण कर देती है तो आगामी सत्र में अनापत्ति प्रमाण पत्र को पुनः बहाल करते हुए एक सत्र हेतु टीएनओसी जारी की जायेगी।

20.3 सत्र 2019–20 व आगामी सत्रों में स्थापित महाविद्यालय प्रथम अस्थायी अनापत्ति प्रमाण–पत्र प्राप्त करने के पश्चात छठे वर्ष में स्थायी अनापत्ति प्रमाण–पत्र के मापदण्ड (नीति बिन्दू संख्या 5.2 के अनुसार) पूर्ण नहीं करते हैं तो छठे वर्ष में महाविद्यालय में प्रथम वर्ष में नवीन प्रवेश स्वतः प्रतिबंधित हो जायेगा। संस्था यदि प्रभावी सत्र में नियमानुसार मापदण्ड पूर्ण कर देती है तो आगामी सत्र में अनापत्ति प्रमाण–पत्र को पुनः बहाल करते हुए टीएनओसी जारी की जायेगी अन्यथा संस्था का अनापत्ति प्रमाण–पत्र निरस्त कर दिया जावेगा।

20.4 ऐसे निजी महाविद्यालय जिन्हें सत्र 2020–21 में संचालित हुए 5 से अधिक वर्ष हो गये हैं यदि वे स्थायी अनापत्ति प्रमाण–पत्र के मापदण्ड (नीति बिन्दू संख्या 5.2 के अनुसार) पूर्ण नहीं करते हैं तो उन महाविद्यालयों को सत्र 2020–21 में प्रति संचालन वर्ष 50000 रूपये शास्ति जमा करवाने पर ही अस्थायी अनापत्ति प्रमाण–पत्र में अभिवृद्वि सम्बन्धित एक सत्र के लिए जारी की जा सकेगी। इसके पश्चात संस्था का अनापत्ति प्रमाण–पत्र स्थाई अनापत्ति प्रमाण पत्र के मापदण्डों की पूर्ति के अभाव में क्रमिक रूप से निरस्त कर दिया जायेगा।

20.5 गलत/असत्य हलफनामा दिये जाने के परिणाम स्वरूप समिति/संस्था के समस्त सदस्यों के विरूद्ध आपराधिक प्रकरण भी दर्ज कराया जायेगा।

21 शुल्क

21.1 संस्थायें समस्त राशियों को एक साथ जोडकर कुल राशि E-challan (परिशिष्ट–10) द्वारा जमा करवा कर विभाग के नाम के मूल E-challan की रसीद आवेदन पत्र के साथ प्रस्तुत करे। प्रस्तुत E-challan में कार्यालय का नाम "11503-Dy. Dir, College Education, Jaipur" तथा बजट हैड "0202–01–103–02–01 संचालक, महाविद्यालय शिक्षा के द्वारा" होना अनिवार्य है। यदि संस्था ने गलत बजट हैड/कार्यालय के नाम से E-challan प्रस्तुत

किया तो उसको अमान्य समझा जायेगा तथा संस्था इसके लिए स्वयं जिम्मेदार होगी। आयुक्तालय किसी भी स्तर पर इसमें संशोधन करने का आवेदन स्वीकार नहीं करेगा।

21.2 शुल्क/आवेदन शुल्क का विवरण निम्नलिखित है–

क्र.सं.	विवरण	राशि (रूपयों मे)
1	नवीन महाविद्यालयों के लिये (समस्त विषय/ संकाय)– (क) सहशिक्षा महाविद्यालय (ख) महिला महाविद्यालय (ग)उच्च शिक्षा की दृष्टि से पिछडे क्षेत्र (परिशिष्ट–3) (घ) आरक्षित विधानसभा क्षेत्र (परिशिष्ट–4)	 65,000 20,000 20,000 20,000
2	अनापत्ति प्रमाण–पत्र में अभिवृद्धि/ स्थायी अनापत्ति प्रमाण–पत्र (प्रत्येक प्रकरण के लिए)	30,000
3	सहशिक्षा परिवर्तन/महिला शिक्षा परिवर्तत/ नाम परिवर्तन/ स्थान परिवर्तन/प्रबन्ध अन्तरण (प्रत्येक प्रकरण के लिए)	25,000
4	पूर्व संचालित महाविद्यालय द्वारा पूर्व में संचालित संकाय में नवीन विषय/विषयों हेतु आवेदन	25000
5	पूर्व संचालित महाविद्यालयों द्वारा नये संकाय हेतु आवेदन स्नातक /स्नातकोत्तर	25000
6	पूर्व संचालित महाविद्यालयों द्वारा स्नातकोत्तर क्रमोन्नयन हेतु आवेदन	25000
7	वार्षिक शुल्क– स्थायी /अस्थाई अनापत्ति प्रमाण–पत्र प्राप्ति के बाद प्रतिवर्ष	30,000
8	संविलयन (Merger) हेतु आवेदन	30,000

नोटः आवश्यक होने पर समय–समय पर विभाग स्तर पर उपर्युक्त शुल्क में वृद्धि करने का निर्णय लिया जा सकेगा ।

21.3 स्थाई/अस्थाई अनापत्ति प्रमाण–पत्र प्राप्त ऐसे समस्त निजी महाविद्यालय जिन्हें उस सत्र में अनापत्ति प्रमाण–पत्र की आवश्यकता नहीं है वे निजी महाविद्यालय भी समस्त सूचना ऑनलाइन प्रस्तुत कर निर्धारित वार्षिक शुल्क अवश्य जमा करवावें।

22 स्थायी कायिक निधि (सावधि जमा/ एफ.डी.आर.)

22.1 नवीन निजी महाविद्यालय प्रारम्भ करने से पूर्व पांच वर्ष के लिए बैंक में सावधि जमा (एफ.डी. आर.) के रूप में महाविद्यालय के नाम, पता एवं संयुक्त निदेशक (निजी संस्थायें), आयुक्तालय, कॉलेज शिक्षा, राजस्थान, जयपुर के संयुक्त खाते में निम्न तालिकानुसार राशि जमा करवाकर एफ.डी.आर. की छायाप्रति (परिशिष्ट–9) आवेदन पत्र के साथ संलग्न करनी होगी–

(राशि लाखों में)

क्र.सं.	विवरण	सामान्य क्षेत्र	आरक्षित/ पिछडा क्षेत्र
1	सहशिक्षा महाविद्यालय	10.00	05.00
2	महिला महाविद्यालय	04.00	02.00

22.2 महाविद्यालय के नाम तथा संयुक्त निदेशक (निजी संस्थायें), कॉलेज शिक्षा के संयुक्त नाम से बनी एफडीआर का संस्था निम्नलिखित परिस्थितियों में नगदीकरण कराने का आवेदन प्रस्तुत कर सकती हैं ।

22.2.1 निर्धारित राशि की नवीन एफडीआर प्रस्तुत करने पर संस्था पूर्व में प्रस्तुत, परिपक्व हो चुकी पुरानी एफडीआर का नगदीकरण करवा सकती है।

22..2.2 एफ.डी.आर. बनवाने के बाद भी संस्था ने आवेदन नहीं किया हो अथवा संस्था ने आवेदन किया हो परन्तु संस्था को अनापत्ति प्रमाण–पत्र जारी नहीं किया गया हो तो ऐसी स्थिति में नगदीकरण की अनुमति दी जा सकेगी ।

22.2.3 अगर संस्था को अनापत्ति प्रमाण–पत्र जारी हो गया हो किन्तु संस्था द्वारा आवश्यक विभागीय मापदण्ड़ों की समय पर पूर्ति नहीं करने के कारण महाविद्यालय को क्रमिक रूप से बन्द करने का आदेश दिया गया हो अथवा संस्था के स्वयं के महाविद्यालय संचालन में असमर्थता व्यक्त करने पर नगदीकरण की अनुमति दी जा सकेगी लेकिन अगर विभाग द्वारा कोई शास्ति अधिरोपित की गई है व उसका संस्था द्वारा भुगतान नहीं किया गया है तो उतनी राशि मय 18 प्रतिशत ब्याज (Overdue-Period के लिए) विभाग में जमा कराने पर ही संस्था नकदीकरण प्राप्त करने की अधिकारी होगी।

22.2.4 एफडीआर नकदीकरण हेतु 50/–रू॰ के गैर न्यायिक स्टाम्प पेपर पर शपथ पत्र (परिशिष्ट –5) नोटेरी से प्रमाणित करवाकर निम्नलिखित आशयों का प्रस्तुत करना होगा –

(i) महाविद्यालय का संचालन पूरी तरह से बन्द कर दिया गया है एवं किसी भी कक्षा में कोई भी विद्यार्थी अध्ययनरत नही है ।

(ii) महाविद्यालय में कार्यरत किसी भी शिक्षक या कर्मचारी का कोई वेतन भुगतान बकाया नही है ।

(iii) महाविद्यालय/ संस्था ने किसी भी प्रकार का ऋण आदि प्राप्त नही किया है।

(iv) महाविद्यालय/ संस्था ने सरकार से किसी भी प्रकार की भूमि एवं भवन आदि रियायती दर पर प्राप्त नही किया है ।

22.3 महाविद्यालय संचालन की स्थिति में सावधि जमा राशि (एफ.डी.आर.) की अवधि पूर्ण होने पर ब्याज के भुगतान एवं एफडीआर के नवीनीकरण हेतु संस्था द्वारा आवेदन करने पर अनुमति दी जा सकेगी । (एफ.डी.आर. पर किसी भी स्थिति में ऋण नहीं लेवें) ।

23 ऑन लाइन आवेदन पत्र प्रस्तुतीकरण की तिथियां

23.1 अनापत्ति प्रमाण–पत्र (अस्थायी/ स्थायी/अभिवृद्धि) प्राप्त करने एवं सहशिक्षा में परिवर्तन/महिला शिक्षा में परिवर्तन/नाम परिवर्तन/स्थान परिवर्तन/प्रबन्ध अन्तरण/नवीन विषय/ नवीन संकाय/ स्नातकोत्तर क्रमोन्नयन/वार्षिक शुल्क हेतु एक सत्र पूर्व में ऑन लाइन आवेदन करना होगा ।

23.2 सत्र 2020–21 के लिए ऑन लाइन आवेदन की तिथियां निम्नानुसार होगी–

क्र.सं.	आवेदन की तिथियां	शुल्क विवरण
1	16 सितम्बर, 2019 से 31 अक्टूबर, 2019 तक	सामान्य आवेदन शुल्क
2	1 नवम्बर 2019 से 30 नवम्बर, 2019 तक	सामान्य आवेदन शुल्क एवं रूपयें 25000/– विलम्ब शुल्क

नोटः–

1. ऐसे पूर्व संचालित निजी महाविद्यालय जो उपर्युक्त तिथि तक टीएनओसी अभिवृद्वि/वार्षिक शुल्क/ पीएनओसी हेतु (पूर्व संचालित संकाय/विषय में) आवेदन प्रस्तुत नहीं कर पायेंगे वे महाविद्यालय सामान्य आवेदन–शुल्क + रूपये 25000/– विलम्ब शुल्क + रूपये 10000/– अतिरिक्त विलम्ब शुल्क सहित 31 दिसम्बर, 2019 तक आवेदन शुल्क /फार्म जमा कर सकेंगे।

2. सभी पूर्व संचालित निजी महाविद्यालय जिन्हें अस्थायी/स्थाई अनापत्ति प्रमाण–पत्र की आवश्यकता नहीं है उन्हें भी वार्षिक शुल्क हेतु ऑनलाईन प्रपत्र भरना अनिवार्य होगा।

24 भूमि

24.1 सत्र 2015–16 से पूर्व स्थापित महाविद्यालयों हेतु उनके स्थापना वर्ष अथवा सत्र 2015–16 के भूमि सम्बन्धी न्यूनतम मापदण्ड में से जो भी कम हो लागू होंगे जो निम्नानुसार है –

विवरण	2012–13 से 2014–15 तक	2007–08 से 2011–12 तक	2006–07	2003–04 से 2005–06 तक
जयपुर महानगर	2000 व.मी.	2000 व.मी.	2000 व.मी.	10 एकड
संभाग मुख्यालय	4000 व.मी.	2000 व.मी.	2000 व.मी.	10 एकड
जिला मुख्यालय	5000 व.मी.	4000 व.मी.	4000 व.मी.	10 एकड
अन्य समस्त क्षेत्र	8000 व.मी.	5000 व.मी.	10000 व.मी.	10 एकड

24.2 सत्र 2015–16 से स्थापित होने वाले महाविद्यालयों हेतु भूमि सम्बन्धी न्यूनतम मापदण्ड निम्नानुसार होंगे –

क्र.सं.	स्थान	महाविद्यालय के लिए (अविवादित स्वामित्व वाली भूमि माप)
1	जयपुर, जोधपुर एवं अजमेर (विकास प्राधिकरण) क्षेत्र	2000 वर्गमीटर
2	अन्य सम्भागीय मुख्यालय (संभागीय मुख्यालय के स्थानीय निकाय सीमा)	3000 वर्गमीटर
3	जिला मुख्यालय (जिला मुख्यालय के स्थानीय निकाय सीमा)	5000 वर्गमीटर
4	शहरी निकाय (स्थानीय शहरी निकाय की सीमा तक)	6000 वर्गमीटर
5	अन्य समस्त क्षेत्र	8000 वर्गमीटर

24.3 भूमि से सम्बन्धित निम्नलिखित दस्तावेज संलग्न होने चाहिये –

24.3.1 भूमि पर संस्था का स्वयं का विवादरहित पूर्ण स्वामित्व एवं कब्जा हो।

24.3.2 आवेदक संस्था के नाम से भूमि के पंजीकृत दस्तावेज/सरकार द्वारा प्रदत्त भूमि पट्टा।

24.3.3 भूमि के दस्तावेजों में समिति/ट्रस्ट का नाम पहले होना चाहिए, समिति अध्यक्ष/सचिव का नाम जरिये अध्यक्ष/सचिव लिखकर बाद में होना चाहिए अर्थात .....(समिति का नाम) जरिये ..... सचिव/अध्यक्ष का नाम)

24.3.4 अस्थायी अनापत्ति प्रमाण पत्र हेतु में सम्बन्धित कार्यालय/निकाय में शैक्षणिक प्रयोजनार्थ रूपान्तरण हेतु जमा करवाये गये आवेदन का प्रकियाधीन होने का प्रमाण पत्र एवं इस आशय का शपथ पत्र प्रस्तुत करना होगा तथा स्थायी अनापत्ति प्रमाण पत्र हेतु संस्था को शैक्षणिक प्रयोजनार्थ रूपान्तरण का आदेश अनिवार्य रूप से प्रस्तुत करना होगा। यदि किसी निकाय में भूरूपान्तरण पर प्रतिबंध है तो संस्था को इस सम्बन्ध में सम्बन्धित राजकीय विभाग के आदेश की प्रमाणित प्रति प्रस्तुत करनी होगी। । शपथ पत्र 100 रूपये के गैर न्यायिक स्टाम्प पेपर पर निर्धारित प्रारूप में होना चाहिए (परिशिष्ट– 7)। जिसमें स्पष्ट रूप से रूपान्तरित भूमि के खसरा नं. एवं वर्गमीटर में माप अंकित हो। यदि किसी कारणवश भूमि के एक बडे भाग में से आवेदन करने के पश्चात खसरा नं. बदलना है तो तहसीलदार से पुराने खसरे का नया नं. क्या है इसका प्रमाण–पत्र प्रस्तुत करना होगा।

24.3.5 राज्य सरकार द्वारा नियुक्त सक्षम प्राधिकारी (तहसीलदार या उच्च अधिकारी) द्वारा जारी भूमि की वर्गमीटर में माप का प्रमाण–पत्र। गैर राजकीय प्रतिनिधियों द्वारा जारी किया गया प्रमाण–पत्र मान्य नहीं होगा।

24.3.6 प्रस्तावित कॉलेज के लिये पंजीकृत समिति/ट्रस्ट/कम्पनी का प्रस्ताव जिसमें कॉलेज के लिये भूमि को चिन्हित किया गया हो।

24.3.7 प्रत्येक महाविद्यालय को Google Map में जाकर संस्था की भूमि को रजिस्टर कराना होगा तत्पश्चात उसका प्रिन्ट आउट निकालकर आवेदन के साथ प्रस्तुत करना होगा।

24.3.8 नवीन महाविद्यालय हेतु प्रस्तावित भूमि टुकडों में नहीं होकर एकजुट/लगायत होनी चाहिए अर्थात एक से अधिक खसरे होने की स्थिति में उनके मध्य कोई दूरी नहीं होनी चाहिए। प्रमाण स्वरूप संस्था भूमि का नजरी नक्शा (रेवन्यू मैप) प्रस्तुत करेगी।

25 भवन

25.1 परिशिष्ट 1 के मापदण्डानुसार भवन आवश्यक होगा ।

25.2 भवन से सम्बन्धित निम्नलिखित दस्तावेज संलग्न होने चाहिये–

25.2.1 पंजीकृत वास्तुविद् द्वारा तैयार किया गया तथा सरकार द्वारा नियुक्त सम्बन्धित सक्षम प्राधिकारी (कनिष्ठ अभियन्ता से नीचे स्तर का नहीं हो) द्वारा अनुमोदित भवन का नक्शा (ब्ल्यू प्रिन्ट) प्रस्तुत करना होगा ।

25.2.2 स्थायी अनापत्ति प्रमाण–पत्र हेतु सक्षम प्राधिकारी का प्रमाण–पत्र जिसमें यह उल्लेख हो कि "संस्था का भवन संस्था के नाम दर्शायी गयी भूमि (पूरा पता) पर ही स्थित है " (सम्पूर्ण भवन का उपयोग केवल महाविद्यालय के संचालनार्थ किया जा रहा हो) ।

25.2.3. संस्था के नाम से भवन के पंजीकृत दस्तावेज –विक्रय पत्र/ दान पत्र ।

25.2.4 नवीन महाविद्यालय हेतु (प्रथम तीन वर्ष के लिए) अस्थायी अनापत्ति प्रमाण–पत्र हेतु मापदण्डानुसार भवन का महाविद्यालय के नाम पंजीकृत किरायानामा/ पंजीकृत लीज भी मान्य होगी (किराये का भवन उसी तहसील की सीमा में होना आवश्यक है, जिसमें महाविद्यालय की भूमि स्थित है) । किराये के भवन में कक्षा कक्ष एवं प्रयोगशाला हेतु ग्रामीण क्षेत्र में 300 वर्गफीट एवं शहरी क्षेत्र में 420 वर्गफीट से छोटे कक्ष मान्य नहीं होंगे।

25.2.5 महाविद्यालय भवन का महाविद्यालय के नाम से आवेदित सत्र का भवन सुरक्षा प्रमाण–पत्र (जिस अवधि का सार्वजनिक निर्माण विभाग द्वारा जारी किया जावे)।

25.2.6 महाविद्यालय भवन का महाविद्यालय के नाम से आवेदित सत्र का अग्नि सुरक्षा प्रमाण पत्र (सक्षम अधिकारी द्वारा जारी किया जावे)।

25.2.7 प्रत्येक महाविद्यालय को Google Map में जाकर संस्था के भवन को रजिस्टर कराना होगा तत्पश्चात् उसका प्रिन्ट आउट निकालकर आवेदन के साथ प्रस्तुत करना होगा।

26 गुणात्मक सुधार हेतु अपेक्षित कार्यक्रम

अधोलिखित समस्त कार्यक्रमों की पालना सभी निजी महाविद्यालयों के द्वारा की जानी अपेक्षित है :–

26.1 स्वच्छ भारत अभियान के अन्तर्गत प्रत्येक माह में एक दिवस निश्चित कर अपने निकटवर्ती राजकीय चिकित्सालय, बस स्टैण्ड, रेल्वे स्टेशन, प्राकृतिक जल स्रोत, सार्वजनिक पार्क एवं बाजार इत्यादि स्थानों पर सामूहिक रूप से कैम्प लगाकर स्वच्छता हेतु अभियान चलायेंगे तथा सफाई करवाकर समाज को जागृत करने का कार्य करेंगे ।

26..2 छात्रों द्वारा पर्यावरण सुरक्षा के लिए एवं समाज में जागृति लाने के उद्देश्य से प्रत्येक वर्ष (मानसून के समय) महाविद्यालय परिसर, खेलकूद मैदान, सार्वजनिक स्थल (हॉस्पिटल, बस स्टेण्ड, रेल्वे स्टेशन, सार्वजनिक पार्क एवं बाजार) इत्यादि स्थलों पर कम से कम पचास या महाविद्यालय की छात्र संख्या के अनुसार वृक्षारोपण के लिए अभियान चलाया जाये तथा भविष्य में इन वृक्षों का पालन पोषण भी सुनिश्चित किया जाये ।

26.3 महाविद्यालय विद्यार्थियों में समाज के प्रति सहयोग की भावना जागृत करने के उद्देश्य से प्रत्येक सत्र में राष्ट्रीय व विशिष्ट पर्वों पर स्थानीय राजकीय/निजी ब्लड बैंकों से सम्पर्क करके रक्तदान शिविर लगाने का कार्य करवाया जायें ।

26.4 महाविद्यालय के प्राचार्य यह सुनिश्चित करें कि महाविद्यालय का प्रत्येक छात्र स्नातक कक्षाओं में अध्ययन के दौरान तीन वर्ष में कम से कम एक निरक्षर पुरूष/ महिला को साक्षर करें ।

26.5 महाविद्यालय में बुक–बैंक की स्थापना कर अध्ययनरत छात्रों को पुस्तकें उपलब्ध करवायी जावे। उत्तीर्ण होने वाले छात्रों को प्रेरित कर पुस्तकें बुक–बैक में जमा कर उन्हें अगली कक्षा के जरूरतमंद बच्चों को पुस्तकें उपलब्ध करवायी जावे।

26.6 पुस्तकालय, कक्षा कक्ष एवं समस्त महाविद्यालय परिसर में महापुरूषों के प्रेरणास्पद सद्वाक्य/ सूक्तियां लिखी जावे ।

26.7 महाविद्यालय में राष्ट्रीय सेवा योजना, एन.सी.सी., रोवरिंग/रेंजरिंग, महिला प्रकोष्ठ, योजना मंच, छात्र रोजगार परामर्श केन्द्र, उपभोक्ता क्लब, मानवाधिकार क्लब आदि का भी संचालन किया जायेगा ।

26.8 स्वतंत्रता दिवस, गणतंत्र दिवस, गांधी जयन्ती, अम्बेडकर जयन्ती, विवेकानन्द जयन्ती तथा अन्य अन्तर्राष्ट्रीय एवं राष्ट्रीय दिवसों के सन्दर्भ में महाविद्यालयों में विभिन्न कार्यक्रम आयोजित करें ताकि महाविद्यालय में राष्ट्रभक्ति पूर्ण वातावरण निर्मित हो।

26.9 महाविद्यालयों में छात्राओं हेतु सैनेटरी नैपकिन की वेंडिग मशीन लगवाना सुनिश्चित करें।

26.10 कार्यस्थल पर महिलाओं के यौन उत्पीडन अधिनियम , 2013 की अनुपालना में महाविद्यालय में नियमानुसार महिला उत्पीडन निवारण समिति का गठन किया जाना अनिवार्य होगा।

26.11 महाविद्यालय में दिव्यांगो के लिये पेयजल, शौचालय, रैम्प आदि की सुविधा का विशेष ध्यान रखा जाये।

26.12 महाविद्यालय में प्रवेश लेने वाले अधिकतम 5 प्रतिशत अनाथ (जिनके माता पिता जीवित न हों एवं जिनके नाम पर कोई भी चल–अचल सम्पत्ति न हो) विद्यार्थियों को निःशुल्क शिक्षा प्रदान की जाये।

26.13 महाविद्यालयों को तम्बाकू मुक्त परिसर बनाने के प्रयास किये जाये तथा छात्रों को नशीले पदार्थों के सेवन से होने वाले प्रभावों से अवगत कराया जाये ।

26.14 महाविद्यालय के प्राचार्य यह सुनिश्चित करे कि महाविद्यालय का प्रत्येक छात्र केन्द्र सरकार के "स्वयं पोर्टल" एवं राजस्थान सरकार के "दिशारी एप" पर पंजिकृत हो।

26.15 महाविद्यालय में पीने के स्वच्छ पानी की समुचित व्यवस्था हो।

26.16 महाविद्यालय परिषद को नियमित रूप से साफ सुथरा रखने के लिए सफाई की कारगर व्यवस्था हो।

26.17 वांछनीय रूप से वर्षा जल संग्रहण प्रणाली की व्यवस्था के साथ साथ अक्षय उर्जा की बुनियादी सुविधायें जैसे बिजली के लिए सोलर पैनल अपेक्षित है।

26.18 महाविद्यालय में वैकल्पिक शिक्षणेत्तर कार्यकलापों के लिए सुविधायें।

26.19 महाविद्यालय प्रशासन को राष्ट्रीय आपदा प्रबन्धन प्राधिकरण (एनडीएमए) द्वारा निर्धारित दिशा निर्देशों की अनुपालना करनी होगी।

26.20 पुस्तकालय में फोटो कापी एवं कम्प्यूटर की पूरी सुविधा होगी जिसमें इन्टरनेट की सुविधा भी शामिल है (संकाय एवं छात्रों के लिए)

26.21 सभी निजी महाविद्यालयों को महाविद्यालय परिसर एवं मुख्यद्वार पर छात्र/छात्राओं की सुरक्षा हेतु सीसीटीवी कैमरा लगवाना होगा तथा इसकी सूचना सम्बन्धित थाने पर उपलब्ध करवानी होगी। सीसीटीवी कैमरे के नियमित संचालन व रख–रखाव की समस्त जिम्मेदारी संस्था की होगी।

27. कौशल–उन्नयन

सम्बद्धक विश्वविद्यालय द्वारा निर्धारित पाठ्यक्रमों के अतिरिक्त छात्रहित में कम्प्यूटर, विदेशी भाषा, कौशल एवं आजीविका, सडक सुरक्षा, योग आदि से सम्बन्धित अन्य पाठ्यक्रम/वोकेशनल पाठ्यक्रम (विवरण परिशिष्ट– 11 पर उपलब्ध) एवं विविध प्रकार की डिप्लोमा यथा पुस्तकालय विज्ञान, Geographic Information System (GIS) का भी संचालन किया जायेगा।

28 प्रवेश प्रक्रिया

सभी निजी महाविद्यालयों से अपेक्षा है कि वे आनलाईन प्रवेश प्रक्रिया अपनायेंगे। राज्य सरकार द्वारा जारी प्रवेश नीति की पालना सुनिश्चित की जावे।

29 स्टाफ

सभी निजी महाविद्यालय प्रशासन यूजीसी योग्यताधारी प्राचार्य एवं शैक्षणिक स्टाफ की नियमानुसार नियुक्ति करेगें।

29.1 प्रथम अस्थायी अनापत्ति प्रमाण–पत्र प्राप्त करने के पश्चात् संस्था को विश्वविद्यालय अनुदान आयोग द्वारा निर्धारित योग्यताधारी प्राचार्य, आवंटित विषयों के व्याख्याता, पुस्तकालयाध्यक्ष एवं पी. टी.आई. तथा राज्य सरकार द्वारा निर्धारित योग्यताधारी अशैक्षणिक स्टाफ की नियुक्ति करनी होगी।

29.2 कार्यरत समस्त शैक्षणिक स्टाफ की सूची मय योग्यता महाविद्यालय के सूचना पटट् पर लगवाना अनिवार्य होगा।

29.3 कार्यरत स्टाफ की सूची को महाविद्यालय की वेबसाईट पर अपलोड करना अनिवार्य होगा।

29.4 आवेदित प्रत्येक विषय /संकाय हेतु यू.जी.सी. योग्यताधारी शैक्षणिक स्टाफ की उपलब्धता सुनिश्चित करने हेतु सहमति पत्र निरीक्षण के समय प्रस्तुत करना होगा। अनापत्ति प्रमाण पत्र प्राप्त करने के पश्चात यू.जी.सी. योग्यताधारी शैक्षणिक स्टाफ की नियुक्ति कर उसकी सूची एवं सभी आवश्यक दस्तावेज आनलाईन पोर्टल पर अपलोड करने होगें। उक्त दस्तावेजो की आयुक्तालय स्तर पर जांच करने के पश्चात स्वीकृति पत्र जारी किया जावेगा। अनापत्ति

प्रमाण पत्र की प्रति व स्वीकृति पत्र की प्रति के आधार पर ही सम्बन्धित विश्वविद्यालय द्वारा सम्बद्धता प्रमाण पत्र जारी किया जावेगा।

29.5 स्थायी व अस्थायी अनापत्ति प्रमाण पत्र प्राप्त प्रत्येक महाविद्यालय को शैक्षणिक व अशैक्षणिक स्टाफ को वेतन भुगतान बैंक से करना अनिवार्य होगा।

30 आवेदन पत्र प्रस्तुत करना एवं निरीक्षण प्रक्रिया

30.1 आवेदक महाविद्यालय द्वारा आवेदन फार्म लॉक करने के 10 दिन में आवेदन फार्म नोडल महाविद्यालय में जमा करना आवश्यक होगा।

30.2 नोडल महाविद्यालय के प्राचार्य द्वारा आवेदन फार्म लॉक करने के 40 दिन में निरीक्षण करना अनिवार्य होगा। इस हेतु नोडल महाविद्यालय के प्राचार्य आवेदक–समिति के सहयोग करके निरीक्षण तिथि निर्धारित करेंगे तथा आवेदक संस्था को इस हेतु पत्र जारी करेंगे। आवेदक संस्था द्वारा सहयोग न करने पर निरीक्षण तिथि निर्धारित करके पत्र व दूरभाष से सूचित करें।

30.3 नोडल प्राचार्य निरीक्षण तिथि के 10 दिन में निरीक्षण रिपोर्ट ऑन लाईन व आफलाईन अनिवार्य रूप से आयुक्तालय भिजवाना सुनिश्चित करें। इस हेतु निरीक्षण के दिन ही संस्था को पत्र भी जारी करें।

31 पूर्व संचालित महाविद्यालय को बंद करना

31.1 समिति के दो तिहाई सदस्यों द्वारा इस आशय हेतु पारित प्रस्ताव की प्रति प्रस्तुत करनी होगी।

31.2 संस्था द्वारा निर्धारित शपथ पत्र (परिशिष्ट–5) प्रस्तुत करना होगा।

31.3 सक्षम स्तर से अनुमोदन पश्चात महाविद्यालय की एनओसी निरस्त करने के आदेश जारी किये जायेंगे।

32 सांध्य/सायंकालीन महाविद्यालयों खोलने संबंधी प्रावधान

32.1 केवल स्थायी अनापत्ति प्रमाण–पत्र धारक सह–शिक्षा/महिला शिक्षा को संचालित करने वाली संस्थायें ही सायंकालीन महाविद्यालय खोलने हेतु आवेदन कर सकती हैं।

32.2 सांध्यकालीन महाविद्यालय खोलने हेतु सम्बद्धक विश्वविद्यालय से पूर्व अनुमति आवश्यक होगी।

32.3 महिला महाविद्यालय को सांयकालीन पारी में महिला महाविद्यालय संचालन की ही अनुमति दी जायेगी।

32.4 सायंकालीन महाविद्यालय के नाम में सांध्य/सायंकाल शब्द का उपयोग करना अनिवार्य है।

32.5 सायंकालीन महाविद्यालय वर्तमान में संचालित महाविद्यालय की भूमि एवं भवन में संचालित किया जा सकेगा। भूमि व भवन सम्बन्धी मापदण्ड पूर्ण करने पर ही संस्था सांयकालीन नवीन महाविद्यालय हेतु पात्र होंगी।

32.6 प्रातःकालीन पारी में संचालित प्रायोगिक विषय यदि सांयकालीन पारी से भिन्न हैं तो प्रातःकालीन पारी में आवश्यक प्रयोग शालाओं की गणना सांयकालीन पारी के महाविद्यालय के भवन संबंधी मापदण्ड की पूर्णता हेतु, नहीं की जायेगी।

32.7 सांयकालीन महाविद्यालय हेतु आवेदन करने वाली संस्थायें प्रातःकालीन पारी में संचालित समस्त विषय/संकायों का सम्पूर्ण विवरण मय एनओसी प्रस्तुत करेगी।

32.8 सायंकालीन महाविद्यालय संचालन के लिए संस्था को नियमानुसार निर्धारित राशि की एफडीआर अलग से प्रस्तुत करनी होगी।

32.9 सायंकालीन महाविद्यालय के प्राचार्य/उपाचार्य अलग से नियुक्त किये जायेंगे।

32.10 सायंकालीन महाविद्यालय में यू.जी.सी योग्यताधारी शैक्षणिक स्टाफ व अशैक्षणिक स्टाफ की नियुक्ति निजी महाविद्यालय नीति बिन्दू संख्या 27 के अनुसार की जायेगी । यदि स्टाफ की

संख्या 20 या उससे अधिक होगी तो संस्था को नियमानुसार कार्मिकों के इपीएफ की कटौती का प्रमाण–पत्र प्रस्तुत करना होगा।

32.11 सायंकालीन महाविद्यालय के लिए राज्य सरकार से अस्थायी अनापति प्रमाण–पत्र प्राप्त करने के पश्चात सम्बन्धित विश्वविद्यालय से सम्बद्धता लेने उपरान्त ही संस्था प्रवेश दे सकेगी। जिसका दायित्व संस्था का होगा।

32.12 सायंकालीन महाविद्यालय के लिए समस्त नियम, मानक एवं मापदण्ड राज्य सरकार द्वारा जारी निजी महाविद्यालय नीति 2020–21 के अनुसार होगी।

33. संविलयन (Merger)

एक ही समिति के एक से अधिक निजी महाविद्यालय संचालित हों तथा समिति दो या अधिक महाविद्यालयों को संविलयन करके एक महाविद्यालय संचालित करना चाहती है तो निम्न शर्तों के अधीन अनुमति दी जा सकेगी–

33.1 दो या अधिक निजी महाविद्यालय एक ही समिति के अन्तर्गत संचालित हों। संविलयन करने वाले तथा संविलयन होने वाले दोनों महाविद्यालयों में से एक महाविद्यालय पीएनओसी होना आवश्यक है।

33.2 उक्त दोनों महाविद्यालय एक ही विश्वविद्यालय से सम्बद्धता प्राप्त होने चाहिए।

33.3 संविलयन हेतु समिति के 3/4 सदस्यों के बहुमत से प्रस्ताव पारित करके आवेदन करें।

33.4 संविलयन करने वाला महाविद्यालय यदि महिला शिक्षा श्रेणी का है तो महाविद्यालय में अध्ययनरत 100 प्रतिशत छात्राओं एवं उनके अभिभावकों की सहमति आवश्यक होगी।

33.5 समिति द्वारा सम्बद्धक विश्वविद्यालय से संविलयन की सहमति प्राप्त कर ली गयी हो तथा समिति द्वारा स्वयं के स्तर पर इसकी अनुमति प्राप्त की जायेगी।

33.6 संविलयन होने वाले महाविद्यालय के 100 प्रतिशत विद्यार्थी एवं उनके अभिभावकों की सहमति प्राप्त कर ली गई हो अथवा उन विद्यार्थियों का अन्य महाविद्यालय में प्रवेश करवा दिया गया हो (आवेदन के साथ इस आशय के सहमति पत्र प्रस्तुत करने होंगे)।इस संदर्भ में संस्था द्वारा समाचार पत्रों में विज्ञप्ति निकाली जावेगी तथा प्राप्त होने वाली शिकायतों का निपटारा आयुक्तालय स्तर पर किया जावेगा।

33.7 संविलयन करने वाले महाविद्यालय द्वारा भूमि, भवन, भू–रूपान्तरण, एफडीआर, स्टाफ आदि के सभी पीएनओसी हेतु निर्धारित वर्तमान मापदण्डों की पूर्ति कर दी गई हो।

33.8 संविलयन होने वाले तथा संविलयन करने वाले महाविद्यालय के पीएनओसी प्राप्त संकाय/विषय में पीएनओसी की अनुमति सभी शर्तों की पूर्ति करने पर जारी की जायेगी। उक्त महाविद्यालयों के टीएनओसी प्राप्त संकाय/विषय में वर्तमान सत्र में निर्धारित पीएनओसी के मापदण्ड पूर्ण करने पर ही पीएनओसी जारी की जायेगी।

33.9 संविलयन होने वाले महाविद्यालय के सभी शैक्षणिक व अशैक्षणिक स्टाफ को प्राप्त वेतन पर संविलयन करने वाले महाविद्यालय द्वारा समायोजित किया जायेगा।

33.10 संविलयन करने वाले महाविद्यालय द्वारा सम्बद्धक विश्वविद्यालय से सम्बद्धता की अनुमति पश्चात ही संचालित संकाय/विषय में अनुमति प्राप्त विद्यार्थी संख्या तक प्रवेश दिया जावे।

33.11 संविलयन से सम्बन्धित सभी प्रकरण सत्र प्रारम्भ होने से पूर्व 31 मई तक निर्णित होना आवश्यक है।

33.12 संविलयन के कारण होने वाले सभी प्रकार के विधिक प्रकरणों हेतु समिति पूर्णतः जिम्मेदार है।

33.13 संविलयन के सम्बन्ध में आयुक्त कॉलेज शिक्षा, राजस्थान द्वारा लिया गया निर्णय ही अन्तिम होगा।

परिशिष्ट– 1
भवन संबंधी न्यूनतम मापदण्ड

कक्षों का प्रकार	प्रति पाठ्यक्रम 500 छात्र संख्या तक	आकार (फीट में)
कक्षा कक्ष कला संकाय (बी.ए.)	4	20′×30′
कक्षा कक्ष वाणिज्य संकाय (बी. कॉम.)	3	20′×30′
कक्षा कक्ष विज्ञान संकाय (बी.एस.सी)	4	20′×30′
कक्षा कक्ष स्नातकोत्तर प्रत्येक विषय के लिए	1	20′×30′
कक्षा कक्ष विधि संकाय त्रि वर्षीय पाठ्यक्रम पंचवर्षीय पाठ्यक्रम (मूट कोर्ट अलग से)	3 5	20′×30′
कक्षा कक्ष त्रि वर्षीय व्यावसायिक पाठ्यक्रम (बी.बी.ए., बी.सी.ए, बी.एस.सी. आई.टी. आदि) प्रति पाठ्यक्रम	3	20′×30′
प्रायोगिक विषयों हेतु आवश्यक उपकरणों सहित प्रयोगशाला विषयवार स्नातक एवं स्नातकोत्तर कक्षाओं के लिये अलग अलग	1	20′×30′
कार्यालय कक्ष	2	15′×20′
भण्डार कक्ष	1	20′×30′
प्राचार्य कक्ष	1	12′×12′
उपाचार्य कक्ष (छात्र संख्या 300 से अधिक होने पर)	1	12′×12′
प्राध्यापक कक्ष	1	20′×30′
एन.सी.सी. / एन.एस.एस. / क्रीडा	1	20′×30′
पुस्तकालय कक्ष	1	20′×30′
वाचनालय कक्ष	1	20′×30′
सभा भवन	1	
गर्ल्स कॉमन रूम (सहशिक्षा महाविद्यालय के लिये)	1	15′×20′
वाहन स्टेण्ड		
पेयजल		
विद्युत्		
खेल मैदान		
खेल सामग्री		
फर्निचर		

नोट–

1 प्रति संकाय छात्र संख्या 300 से ज्यादा होने पर प्रति 100 या उसके किसी भाग पर 1 कक्षा कक्ष अतिरिक्त आवश्यक होगा।

2 अस्थायी अनापत्ति प्रमाण–पत्र के लिये 300 छात्र संख्या के अनुरूप भवन के मापदण्ड पूर्ण करने होगें। तत्पश्चात् अनापत्ति प्रमाण–पत्र अभिवृद्धि / स्थायी अनापत्ति प्रमाण–पत्र /स्नातकोत्तर क्रमोन्नयन /नवीन विषय की अनुमति के लिये तत्कालीन छात्र संख्या के अनुरूप भवन के मापदण्ड पूर्ण करने होंगे।

3. विधि संकाय पांच वर्षीय कोर्स में बी.ए. एलएलबी एवं बी.एस. एलएलबी हेतु अलग अलग कक्षा कक्ष की गणना की जायेगी।

परिशिष्ट– 2

छात्र–छात्राओं की संख्या के अनुरूप सुविधायें तथा शौचालय, यूरिनल्स तथा पेयजल के मापदण्ड

Co- Ed Colleges				For Girls Colleges	
Strength of Students	For Boys		For Girls	Strength of Students	No of Tiolets
	No of Tiolets	No of Urinal Pans	No of Tiolets		
Up to 500	2	10	5	Up to 500	10
500-1000	4	15	10	500-1000	15
1001-2000	6	20	15	1001-2000	20
2001-4000	8	25	20	2001-4000	25
4001-6000	10	30	25	4001-6000	30
6001 & Above	12	35	25	6001& Above	35

For Staff	For Gents		For Ladies
	No of Tiolets	No of Urinal Pans	No of Tiolets
Up to 50	1	2	1
51-100	2	4	2
101-150	2	6	5
151-200	3	8	8
201-250	5	10	10

नोट–शौचालय एवं यूरिनल्स छत, दरवाजे, सांकल कुन्दी, जल, जल निकासी एवं साफ–सफाई युक्त होने चाहिये।

परिशिष्ट– 3
महाविद्यालय विहीन उपखण्डों की सूची

क्र.सं.	जिला	उपखण्ड
1	अजमेर	1 टाटगढ
		2 भिनाय
2	बांरा	3 किशनगंज
3	भीलवाडा	4 फूलियाकलॉ
		5 हमीरगढ
4	बून्दी	6 तालेड़ा
5	चित्तौडगढ	7 गंगरार
		8 भूपालसागर
6	जैसलमेर	9 फतेहगढ
7	झालावाड	10 असनावर
8	कोटा	11 दीगोद
10	उदयपुर	12 बडगांव
	कुल योग	12

नोटः– उक्त सूची अनन्तिम है । यह सूची समय–समय पर संशोधित की जायेगी । इसके अलावा भी ऐसे उपखण्ड जहॉ कोई भी सरकारी अथवा निजी महाविद्यालय नहीं होने का प्रमाण–पत्र प्रस्तुत करने पर इस सूची में सम्मिलित किया जा सकता है। आवेदक संस्था को उपखण्ड कार्यालय से इस आशय का प्रमाण–पत्र प्राप्त कर संलग्न करना होगा कि उनके द्वारा आवेदित महाविद्यालय का स्थान उपर्युक्त सूची में वर्णित उपखण्ड क्षेत्र में आता है ।

परिशिष्ट– 4

राजस्थान में अनुसूचित जाति के लिए आरक्षित विधान सभा निर्वाचन क्षेत्रों की सूची

क्र.सं.	जिला	निर्वाचन क्षेत्र
1	अजमेर	अजमेर दक्षिण
2	अलवर	अलवर ग्रामीण
3		कठूमर
4	बाडमेर	चौहटन
5	भरतपुर	बयाना
6		वैर
7	भीलवाडा	शाहपुरा
8	बीकानेर	खाजूवाला
9	बून्दी	केशोरायपाटन
10	चित्तौडगढ	कपासन
11	चुरू	सुजानगढ
12	श्रीगंगानगर	अनूपगढ
13		रायसिंहनगर
14	जयपुर	दूदू
15		चाकसू
16		बगरू
17	जालोर	जालोर
18	झालावाड	डग
19	झुझुनू	पिलानी
20	जोधपुर	भोपालगढ
21		बिलाडा
22	कोटा	रामगंजमण्डी
23	नागौर	जायल
24		मेडता
25	पाली	सोजत
26	सवाई माधोपुर	खण्डार
27	सीकर	धोद
28	सिरोही	रेवदर
29	टोंक	निवाई
30	बारां	बांरा–अटरू
31	दौसा	सिकराय
32	करौली	हिण्डौन
33	धौलपुर	बसेडी
34	हनुमानगढ	पीलीबंगा

राजस्थान में अनुसूचित जनजाति हेतु आरक्षित विधान सभा क्षेत्र की सूची

क.सं.	जिला	निर्वाचन क्षेत्र
1	अलवर	राजगढ–लक्ष्मणगढ
2	बांसवाडा	कुशलगढ
3		गढ़ी
4		घाटोल
5		बागीडोरा
6		बांसवाडा
7	डूंगरपुर	सागवांडा
8		चेरासी
9		डूंगरपुर
10		टासपुर
11	सवाई माधोपुर	बामनवास
12	सिरोही	पिण्डवाडा आबू
13	उदयपुर	झाडोल
14		उदयपुर ग्रामीण
15		सलूम्बर
16		खेरवाडा
17		गोगून्दा
18	बारां	किशनगंज
19	दौसा	लालसोट
20	करौली	सपोटरा
21		टोडाभीम
22	जयपुर	जमवारामगढ़
23		बस्सी
24	प्रतापगढ	प्रतापगढ
25		धरियाबाद

नोटः– उपर्युक्त दोनों सूचियां निर्वाचन विभाग द्वारा समय–समय पर किये गये संशोधनों के अध्यधीन मान्य होगी । आवेदक संस्था को जिला कलेक्टर अथवा एस.डी.एम. से नवीनतम यह प्रमाण–पत्र प्राप्त कर संलग्न करना होगा कि उनके महाविद्यालय का स्थान आरक्षित विधानसभा क्षेत्र में आता है ।

परिशिष्ट– 5

एफडीआर नगदीकरण/महाविद्यालय बंद करने हेतु शपथ पत्र का प्रारूप

शपथ पत्र

मैं ईश्वर को साक्षी मानकर पूर्ण होश – हवास से निम्नलिखित बयान कलम बद्व करता हूं कि :–

(1) समिति द्वारा ..... दिनांक को प्रस्तावित कर यह निर्णय लिया गया कि संस्था को सत्र .....से पूर्ण रूप से बन्द कर दिया जाये।

(2) मैं एतद् द्वारा घोषणा करता हूं कि आज दिनांक .....में किसी भी कक्षा में कोई भी छात्र महाविद्यालय में अध्ययनरत नहीं है।

(3) मैं एतद् द्वारा घोषणा करता हूं संस्था में कार्यरत किसी भी शैक्षणिक व अशैक्षणिक कार्मिकों का आज दिनांक ..... को कोई बकाया नहीं है।

(4) मैं एतद् द्वारा घोषणा करता हूं कि संस्थान ने किसी भी प्रकार का ऋण नहीं लिया है तथा सरकार से किसी योजना के अन्तर्गत किसी भी प्रकार की भूमि एवं भवन आदि रियायती दरों पर प्राप्त नहीं किये है।

हस्ताक्षर

(समिति अध्यक्ष/सचिव)

नोटः– उपर्युक्त शपथ पत्र नोटेरी द्वारा प्रमाणित होना चाहिए।

परिशिष्ट– 6

संस्था द्वारा प्रस्तुत की जाने वाली प्रबन्ध कार्यकारिणी की सूची का प्रारूप

समिति का नाम .....

कार्यालय का पता .....

आम सभा बैठक दिनांक ..... में चयनित प्रबन्ध कार्यकारिणी सूची

क्र.सं.	नाम	पिता/पति का नाम	व्यवसाय	पता	पद
1					
2					
3					
4					
5					
6					
7					
8					
9					
10					
11					
12					
13					
14					
15					
16					
17					
18					
19					
20					
21					

अध्यक्ष **सचिव** **कोषाध्यक्ष**

नोट– उक्त सूची पंजीयक से प्रमाणित होनी चाहिए

परिशिष्ट– 7

अस्थायी अनापत्ति प्रमाण पत्र हेतु
भू–रूपान्तरण दस्तावेज जमा करने संबंधी शपथ पत्र का प्रारूप

शपथ पत्र

मैं ..... पुत्र श्री .....उम्र..... निवासी.....
.....जिला .....हाल सचिव .....शपथपूर्वक बयान करता हूं कि –

1. यह कि ..... के संचालन हेतु ..... शिक्षण संस्था .....में पंजीकृत भूमि के शैक्षणिक प्रयोजनार्थ रूपान्तरण हेतु दस्तावेज जमा करा दिया है तथा रूपान्तरण पूर्ण होने पर रूपान्तरण पत्र आपकी सेवा में प्रस्तुत कर दिया जायेगा।
2. यह कि रूपान्तरण आदेश की प्रति प्राप्त होने पर उसकी प्रति आयुक्तालय कालेज शिक्षा, जयपुर में जमा करा दिया जायेगा।

हस्ताक्षर

मैं .....शिक्षण संस्था.....यह सत्यापित करता हूं कि उपरोक्त शपथ पत्र के पैदा 1 से 2 में वर्णित तथ्य मेरी जानकारी एवं सत्यनिष्ठा में पूर्णतःसत्य एवं सही है। इसमें न तो कोई तथ्य गलत है न हीकोई तथ्य छिपाया गया है।

हस्ताक्षर

स्थान–
दिनांक–

नोट– उक्त शपथ पत्र 50/– रूपये के गैर न्यायिक स्टाम्प पेपर पर नोटेरी पब्लिक से प्रमाणित होना चाहिए।

परिशिष्ट– 8
प्रबन्ध अन्तरण के लिए आवेदन
(नियम 10 (vi))

निदेशक,
कालेज शिक्षा,
राजस्थान

विषयः– प्रबन्ध के अन्तरण के लिए अनुज्ञा।

महोदय,

हम अधोहस्ताक्षरी प्रबन्ध के अन्तरण के लिए आपकी अनुज्ञा चाहने के लिए यह आवेदन निम्नलिखित विशिष्टियों के सहित प्रस्तुत करते हैं :–

क्र.सं.	विशिष्टियां	अंतरित किये जाने के लिए प्रस्तावित संस्था	संस्था को कब अंतरित किया जाना है
1	2	3	4

1. संस्था का नाम
2. पता
3. शिक्षा वर्तमान स्तर
4. प्राप्त की जा रही आवर्ती सहायता अनुदान की स्तरवार प्रतिशतता
5. संकाय और कक्षा/अनुभागवार विद्यार्थियों की संख्या
6. सम्पतियों का ब्यौरा (जंगम–स्थावर सम्पतियों का पृथक–पृथक विरण संलग्न करें)
7. महाविद्यालय भवन
   (क) कक्षा कक्ष (ख) पुस्तकालय (ग) प्रयोगशालाएं (घ) खेल –मैदान
   (ड) अन्य सुविधाएं
8. नगद और बैंक में अतिशेष
9. आरक्षित निधि
10. विनिधान (सूची संलग्न करें)
11. प्राध्यापकों की संख्या (संकाय/कक्षा और वेतनमान के अनुसार)
12. नई संस्था में विद्यार्थियों की शिक्षा की संभाव्यता
13. प्रस्तावित अंतरण के लिए कारण
14. प्रबन्ध द्वारा पारित संकल्प (प्रति संलग्न करें)
15. अन्य विशिष्टियां–

घोषणा

हम इसके द्वारा घोषणा करते हैं कि उपर उल्लेखित तथ्य और विशिष्टियां हमारी सर्वोतम जानकारी और विश्वास के अनुसार सत्य हैं।

अंतरित की जाने वाली संस्था के सचिव
के हस्ताक्षर, तारीख

उस संस्था के अध्यक्ष/सचिव के
हस्ताक्षर जिसको अन्तरित की
जानी है

परिशिष्ट– 9

F.D.R. स्थायी कायिक निधि का प्रारूप

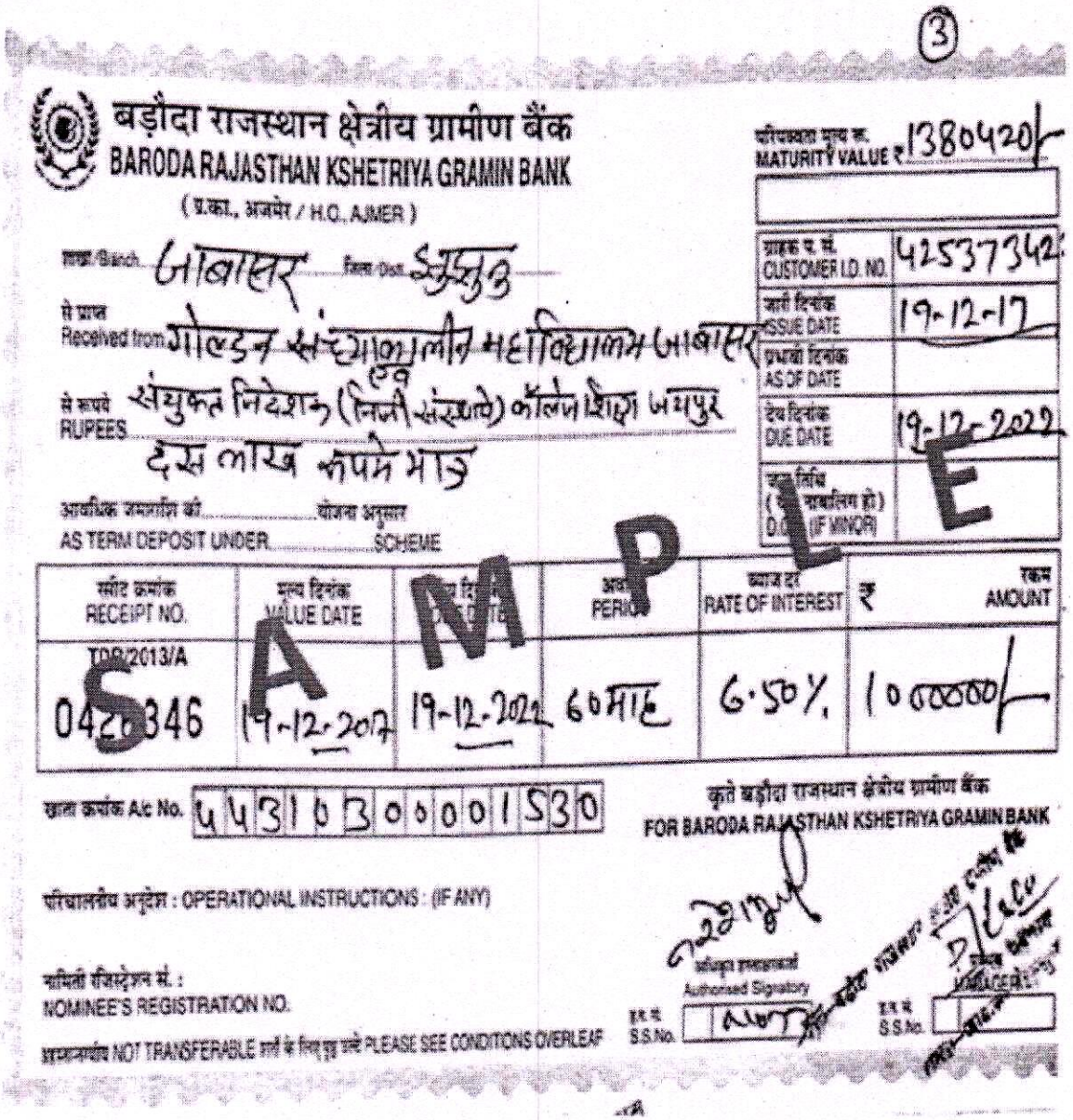

(3)

बड़ौदा राजस्थान क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक
BARODA RAJASTHAN KSHETRIYA GRAMIN BANK
(प्र.का., अजमेर / H.O. AJMER)

परिपक्वता मूल्य रु. MATURITY VALUE ₹ 1380420/-

शाखा/Branch जाबासर जिला/Dist. झुंझुनू

से प्राप्त Received from गोल्डन संस्थापक एवं महाविद्यालय जाबासर संयुक्त निदेशक (निजी संस्थाये) कॉलेज शिक्षा जयपुर

से रुपये RUPEES दस लाख रुपये मात्र

आवधिक जमाराशि की .... योजना अनुसार
AS TERM DEPOSIT UNDER .... SCHEME

ग्राहक प. सं. CUSTOMER I.D. NO.	42537342
जारी दिनांक ISSUE DATE	19-12-17
प्रभावी दिनांक AS OF DATE	
देय दिनांक DUE DATE	19-12-2022
जन्म तिथि (यदि नाबालिग हो) D.O.B. (IF MINOR)	

रसीद क्रमांक RECEIPT NO.	मूल्य दिनांक VALUE DATE	देय दिनांक DUE DATE	अवधि PERIOD	ब्याज दर RATE OF INTEREST	₹ रकम AMOUNT
TDR/2013/A 0420346	19-12-2017	19-12-2022	60 माह	6.50%	1000000/-

खाता क्रमांक A/c No. 44310300001530

कृते बड़ौदा राजस्थान क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक
FOR BARODA RAJASTHAN KSHETRIYA GRAMIN BANK

परिचालनीय अनुदेश : OPERATIONAL INSTRUCTIONS : (IF ANY)

प्राधिकृत हस्ताक्षरकर्ता
Authorised Signatory

प्रबंधक
MANAGER

नामिती रजिस्ट्रेशन सं. :
NOMINEE'S REGISTRATION NO.

ह.न. सं. S.S.No.
ह.न. सं. S.S.No.

अहस्तान्तरणीय NOT TRANSFERABLE शर्तों के लिए पृष्ठ पलटें PLEASE SEE CONDITIONS OVERLEAF

SAMPLE

परिशिष्ट–10

E-GRAS चालान हेतु दिशा-निर्देश

निजी महाविद्यालय द्वारा विभिन्न प्रकार का शुल्क/आवेदन शुल्क आदि राजकोष में ऑन लाइन जमा करवाने हेतु निम्न प्रक्रिया पूर्ण की जावेगी

1- https://egras.raj.nic.in/ पर लॉगिन करें।

2- जिनका E-GRAS की वेबसाइट पर Registration नहीं है तो वे "New User" पर क्लिक करें एवं Login Form को पूर्णतयाः भर कर Login ID व Password प्राप्त कर Sign in करें, तत्पश्चात Profile Create करें ।

3- Profile Create करते समय विभाग (Department) सूची में क्रम सं0 15 पर College Education Department Select करें। Major Head में 0202– शिक्षा, खेलकूद, कला तथा संस्कृति को Select करें व Profile Name भरें । इसके बाद दर्शाये गये मदों में 0202–01–103–02–01 संचालक, महाविद्यालय शिक्षा के द्वारा >> पर प्रेस कर Submit करे एवं Home आइकॉन पर क्लिक करें तथा Profile List में Profile Name Select व continue करने पर E-Challan प्रपत्र दर्शित होगा ।

4 - E-Challan प्रपत्र में दर्शित कॉलम को निम्न प्रकार टाईप करें–

- District में Jaipur टाईप करें।
- Office Name में 11503-Dy. Dir, College Education, Jaipur को Select करें।
- जिस जिले में महाविद्यालय स्थित है उसकी District wise Treausary select करें।
- Select Period में "ONE TIME" को Select करें।
- बजट हैड में राशि टाईप करें।
- Type of Payment में " Manual / E-Banking / Payment Getway/ Credit / Debit Card " में से किसी एक को Select करें।
- Manual को Select करने पर–
  (i) Name of Bank में प्रदर्शित हो रहे SBI any where/ PNB any where में से किसी एक को सलेक्ट करें।
  (ii) Cheque/DD. No. में 000000 टाईप करें।
  (iii) Remark में शुल्क का Nature टाईप करें यथा Application fee, New Subject fee, New faculty fee etc.
  (iv) Submit पर क्लिक करें व चालान प्रपत्र का प्रिन्ट निकाल कर नकद राशि संबंधित बैक में जमा कराकर रसीद प्राप्त करें एवं मूल प्रति विभाग में प्रस्तुत करें।
- E-Banking/Payment Getway / Credit / Debit Card Select करने पर –
  (i) Name of Bank में जिस बैंक से E-Banking करनी है उसका Name Select करें (Payment Getway / Credit / Debit Card में लागू नहीं)

(ii) Remark में शुल्क का Nature टंकित करें यथा Application fee, New Subject fee, New faculty fee etc.

(iii) submit पर क्लिक करें तथा open page में Details Confirm करने के बाद Continue पर क्लिक करें तत्पश्चात Internet Banking/ credit/Debit card के माध्यम से शुल्क जमा करवाकर जमा पुष्टि की रसीद संलग्न करें।

नोटः— यदि संस्था ने गलत बजट हैड/कार्यालय के नाम से E-challan प्रस्तुत किया तो उसको अमान्य समझा जायेगा तथा संस्था इसके लिए स्वयं जिम्मेदार होगी। आयुक्तालय किसी भी स्तर पर इसमें संशोधन करने का आवेदन नहीं स्वीकारेगा।

E-GRAS चालान का प्रारूप

E-CHALLAN (Manual Payment)
Government Of Rajasthan
College Education Department

Valid Upto:-	12/08/2018
GRN :- **24033220**	Remitter's Copy
BarCode:-	Date:- 13/07/2018 12:33:00 PM
Office Name:-	Dy. Dir. COLLEGE EDUCATION JAIPUR
Location:-	JAIPUR (SECTT.)
Year:	13/07/2018 To 31/07/2018

Head(0202)	Amount ₹
0202-01-103-02-01-संचालक. महाविदयालय शिक्षा	30,000.00
Discount :-	0.00
Total/Net Amount:-	30,000.00
Thirty Thousand Rupees and Zero Paise Only	

Payee Detail

TIN/Actt. no./VehicleNo/TaxId/Lease No:-	
PAN No.:-	
Remitter Name:-	NAME OF COLLEGE
Address:-	Address of College JAIPUR- 000000
Remarks:	NOC Fee

FOR USE IN RECEIVING BANK

Cheque-DD-No.:	000000
Bank CIN No:-	
Bank	SBI AnyWhere

परिशिष्ट– 11

कौशल–उन्नयन सम्बन्धित पाठ्यक्रम/वोकेशनल पाठ्यक्रम विवरण

S.No	Trades	S.No	Trades
1	Accounting & Taxation	40	Hospitality Management
2	Agricultural Operation and Management, Soil Sciences	41	Hotel Management and Catering Technology
3	Analytical Chemistry Techniques for Pharmaceuticals	42	Industrial Pollution & Waste Water Treatment
4	Animation and Multimedia	43	Information Technology Enabled Services and Web Technology
5	Aquaculture	44	Interior Decoration & House Keeping
6	Automobile	45	Jewellery Design
7	Banking	46	Mass Communication
8	Beauty and Wellness	47	Mining
9	Beauty Hair & Hair Dressing	48	Mobile Communication
10	Building Technology	49	Mobile Repairing and Basics of DTH Installation
11	Cadiac Lab Technology	50	Museology
12	Carpentry	51	Mushroom Cultivation
13	Cast Iron Foudry Technology	52	Nursery management
14	Civil Construction Supervision	53	Office Automation and E-Service
15	Clinical Science and Medical Lab Technology	54	Organic Farming
16	Computer Application and IT	55	Pharmaceuticals
17	Computer Hardware and Networking Maintenance	56	Photographic Video Production
18	Computer Animation & Multimedia	57	Pisciculture
19	Computerized Shoe Design and Development	58	Pneumatic & Hydraulic Machine Engineering
20	Dairy Sciences	59	Power Plant Chemistry
21	Desktop publishing	60	Printing Technology
22	Dietics & Nutrition	61	Pulp and Paper Technology
23	Diploma in Office Automation and E-governance	62	Radiographics & Imaging
24	Dress Designing & Tailoring	63	Readymade Garments
25	Drip Technology	64	Renewable Energy
26	Electrician	65	Retail Management
27	Embroidery	66	Rubber Technology
28	Farm Management and Agriculture	67	Sericulture
29	Fashion Technology	68	Stock Market & Trading Operations
30	Fianancial Services	69	Sugar Industry and Processing
31	Fish Fishery	70	Tea Plantation and Management
32	Food Processing and Preservation	71	Taxtile and Ginning Technology
33	Foundry Technology	72	Theatre Art and Stage Craft with multiple exit option
34	Fruit and Vegetable Technology	73	Top Publishing
35	Graphic Art	74	Travel and Tourism
36	Green House Technology	75	Two Wheeler Machanism and Maintenance
37	Health Care	76	Visual Communication
38	Home Science (Creche Management)	77	Website Designing & Management
39	Horticulture	78	Welding and Fabricantion

परिशिष्ट–12
सत्र 2020–21 में निजी महाविद्यालयों द्वारा आवेदन करने एंव विभाग द्वारा एनओसी जारी करने हेतु कैलेण्डर

माननीय उच्च न्यायालय के निर्देशो की अनुपालना में सत्र 2020–21 में निजी संस्थाओं द्वारा विभिन्न प्रकरणों यथा– नवीन महाविद्यालय स्थापित करने/पूर्व संचालित महाविद्यालय द्वारा टीएनओसी अभिवृद्वि/पीएनओसी/स्नातक अथवा स्नातकोत्तर स्तर पर नवीन विषय/स्नातकोत्तर क्रमोन्नयन के लिए किये गए आवेदनों के संदर्भ में राज्य सरकार द्वारा एनओसी जारी करने हेतु निम्नानुसार कैलेण्डर निर्धारित किया जाता है:–

क्रं.सं.	विवरण	दिनांक
1.	सामान्य आवेदन शुल्क से आवेदन करने की तिथि	16 सितम्बर, 2019 से 31 अक्टूबर, 2019 तक
2.	सामान्य आवेदन शुल्क एव 25000 रू. विलम्ब शुल्क सहित आवेदन तिथि	1 नवम्बर 2019 से 30 नवम्बर, 2019 तक
3.	पूर्व संचालित महाविद्यालय – केवल टीएनओसी अभिवृद्वि, पीएनओसी तथा वार्षिक शुल्क हेतु सामान्य आवेदन शुल्क + रूपये 25000/– विलम्ब शुल्क + रूपये 10000/– अतिरिक्त विलम्ब शुल्क सहित	31 दिसम्बर 2019 तक
4.	नवीन निजी महाविद्यालय हेतु प्रथम टीएनओसी जारी करने की अन्तिम तिथि	30 अप्रैल 2020
5.	पूर्व संचालित महाविद्यालय हेतु स्नातक स्तर पर नवीन संकाय/विषय तथा स्नातकोत्तर क्रमोन्नयन/स्नातकोत्तर नवीन विषय हेतु एनओसी जारी करने की अन्तिम तिथि	31 मई 2020
6.	सत्र 2020–21 हेतु टीएनओसी अभिवृद्वि जारी करने की अन्तिम तिथि	31 जुलाई 2020
7.	सत्र 2020–21 से पूर्व संचालित विषय/संकाय में पीएनओसी जारी करने की अन्तिम तिथि	31 अगस्त 2020

नोट

1. अनापत्ति प्रमाण पत्र के समस्त प्रकरणों में कमीपूर्ति करने की अंतिम तिथि अनापत्ति प्रमाण पत्र जारी करने की अंतिम तिथि से 5 दिवस पूर्व होगी।
2. नवीन महाविद्यालय व नवीन विषयों/संकाय (यू.जी./पी.जी.) स्नातकोत्तर क्रमोन्नयन के आवेदन निर्धारित दिनांक तक कमीपूर्ति के अभाव में स्वतः ही निरस्त हो जाएंगे एवम् इन आवेदनों पर किसी भी स्थिति में आगामी सत्र हेतु विचार नहीं होगा।
3. टीएनओसी अभिवृद्वि एवं प्रथम पीएनओसी के प्रकरण निर्धारित अन्तिम तिथि तक कमिपूर्ति के अभाव में नियमानुसार शास्ति राशि जमा करवाने उपरान्त ही सत्र 2020–21 हेतु टीएनओसी अभिवृद्वि के पात्र होगें।
4. पूर्व में पीएनओसी धारक संस्थाओं के ऐसे प्रकरण जो पूर्व संचालित विषय/संकाय में पीएनओसी हेतु विचाराधीन है निर्धारित अन्तिम तिथि तक कमिपूर्ति के अभाव में 2021–22 से कमिक रूप से निरस्त करते हुए सत्र 2020–21 में एक सत्र की टीएनओसी अभिवृद्वि के पात्र होगें।

परिशिष्ट–13
भूमि भवन प्रमाण पत्र प्रारूप

Letter No. : **Date :**

FROM:- Tehsildar

_____

_____

_____

To
The Commissioner
College Education Rajasthan
Jaipur

Subject : Land Title Certificate

On the request of _____Trust/ Society/ Company, I have personally examined the various land Documents/Records pertaining to the following land.

1) Address : _____

_____

_____

2) Location (Khasra No.) :_____

3) Area/Measurement (in Meter2) :_____

After careful examination of the documents and satisfying myself, I certify that the above mentioned land is presently in the Name/Title of _____ _____Society/Trust/Company.

It is certified that _____(Name of The institution) has Own building on own land in same Campus.

or

Land and rented land building _____ _____(Address of building)

are in same Tehsil. (strike out if not applicable)

(Tehsildar)
Signature with office seal